कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

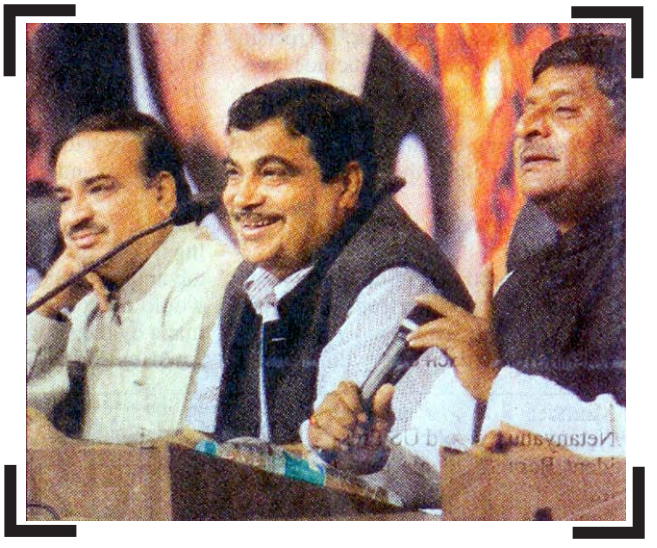

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रेस को सम्बोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी। साथ में हैं राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं श्री अनंत कुमार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2012

विधानसभा चुनाव परिणाम–2012 पर विशेष रिपोर्ट..... 7

लेख

मोरारजीभाई का स्मरण
– लालकृष्ण आडवाणी..... 12

सर्वोच्च न्यायालय ने जन–अधिकारों की रक्षा की
– अरुण जेटली..... 14

गुजरात – 2002 के बाद शान्ति के 10 वर्ष
– अरुण जेटली..... 17

कांग्रेस का सत्ता अहंकार
– बलबीर पुंज..... 20

समन्वय से बढ़ेगी सुरक्षा
– अशोक टंडन..... 22

नदियों को जोड़ने की चुनौती
– ब्रह्मा चेलानी..... 25

प्रदेशों में

राजस्थान..... 23
हिमाचल प्रदेश..... 24
दिल्ली..... 27
मध्य प्रदेश..... 29

बोफ्रा कथा

वित्त मंत्री का चुनाव

एक राजा को विट्ठा मंत्री की जरूरत थी। वह इस पद पर ऐसे व्यक्ति को रखना चाहते थे, जो ईमानदार और कर्मठ हो। वह इसके लिए अनेक उम्मीदवारों की परीक्षा ले चुके थे पर अभी तक कोई भी नौजवान उनकी परीक्षा पर खरा नहीं उतरा था। एक दिन एक युवक उनके दरबार में आया और बोला, 'महाराज, मैं काम की तलाश में हूं। आप मुझे काम पर लगा दीजिए।' राजा बोले, 'फिलहाल तो मेरे यहां एक ही पद रिक्त है और वह है हमारे रघीखाने की चौकीदारी का। तुम करोगे?' युवक शिक्षित था किन्तु यह कार्य स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता न था। वह रघीखाने का चौकीदार नियुक्त कर दिया गया। इस पर प्रफ्राानमंत्री राजा से बोला, 'यह क्या महाराज, हमें तो विट्ठा मंत्री चाहिए था। फिर आपने इस शिक्षित युवक को भला इतना छोटा काम क्यों सौंपा?' इस पर राजा बोले, 'विट्ठा मंत्री का पद बहुत जिम्मेदारी भरा है। किसी को बिना जांचे–परखे वह काम नहीं सौंपा जा सकता। युवक राजकीय रघीखाने की चौकीदारी करने लगा। वहां जाकर सबसे पहले उसने रघी का निरीक्षण किया। सामान बिखरा पड़ा था। मकड़ी के जाले और फ्राूल से कमरे की हालत बदतर हो चुकी थी। युवक ने स्वयं उस भवन की सफाई की फिर रघी छांटी। युवक ने रघी एकत्रित करके बाजार में बेच दी। फिर कमरे में रंग–रोगन करवाया, पर्दे लगवाए और कमरा व्यवस्थित कर दिया। राजा को सूचना मिली तो वह रघीखाना देखने आए। कायापलट देखकर वह दंग रह गए। युवक को शाबाशी देते हुए राजा बोले, 'अभी से तुम्हें राज्य का विट्ठा मंत्री नियुक्त किया जाता है। तुम्हारी निष्ठा व ईमानदारी ने यह साबित कर दिया है कि तुम ही विट्ठा मंत्री पद के हकदार हो।' इस प्रकार अपनी कार्यकुशलता व ईमानदारी से वह युवक विट्ठा मंत्री बन गया।

संकलनः रेनू सैनी

साभारः नवभारत टाईम्स

व्यंग्य चित्र

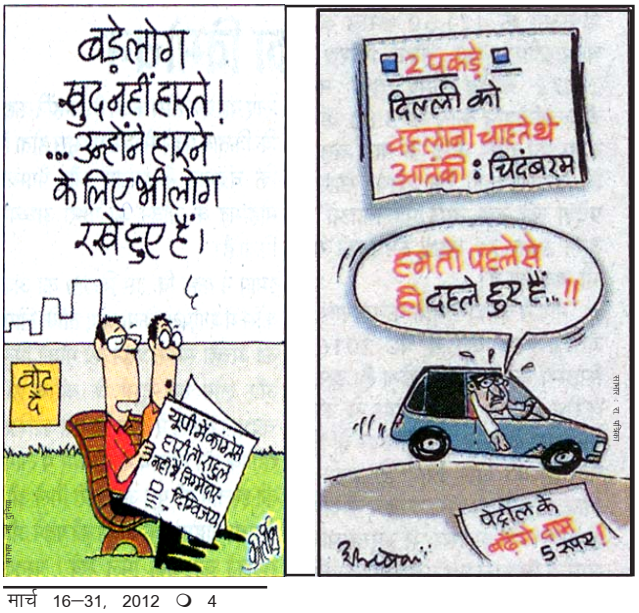

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी–66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003
ई-मेलः
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको निरन्तर मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

सम्पादकीय

जमीन का कागज होता है पर कागज की जमीन नहीं होती

परिणाम आ गए। जो लोग कह रहे थे वही हुआ। पर पता नहीं क्यों जो बातें आम जनता समझ जाती है या जिन बातों का अंदाजा सामान्य जन लगा लेते हैं, उसे नेता लोग क्यों नहीं लगा पाते। पहले दिन से उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा आम हो गई थी कि सपा पहले नम्बर पर, बसपा दूसरे नम्बर पर, भाजपा तीसरे नम्बर पर और कांग्रेस चौथे नम्बर पर होगी। आम जनता जो सामूहिक स्वर से कहे उसे आम सहमति से मान लेना चाहिए। दिक्कत लोकतंत्र की यही है कि आम आवाज और आम सहमति को समझने की कोशिश नहीं की जाती है।

बसपा सत्ता में थी। सपा विरोध यानि विपक्ष में। बसपा से गत पांच वर्ष कौन लड़ा? संघर्ष किसने किया तब तक जब तक परिणाम प्राप्त नहीं हो। लेकिन राजनैतिक दल ऐसा नहीं कर पाते हैं। अक्सर ऐसा हो रहा है कि सच्ची लड़ाई और लड़ाई में निरंतरता बनाए रखना कठिन हो गया है। भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ से ही तीसरे स्थान की लड़ाई लड़ रही थी पर उसका विश्वास था कि उसको कम से कम अस्सी से सौ सीटें प्राप्त होंगी। भाजपा का मानना था कि बसपा से जिस तरह लोगों का मोह भंग हो रहा है, उसका लाभ भाजपा और सपा को मिलेगा। बसपा की पूरी नाराजगी का लाभ सपा लेने में सफल हो गई। वहीं किसी प्रकार जनता में यह विश्वास न जग सका कि भाजपा ही बसपा का सही विकल्प है। स्थिति यहां तक बन गई कि जैसे सन् 2007 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लोगों ने यह नहीं सोचा कि बसपा (मायावती) को लाना है, सोचा यह कि पहले सपा को हटाना है। यही स्थिति इस बार बनी कि लोगों ने यह नहीं सोचा कि सपा को लाना है, पहले सोचा कि बसपा को हटाना है। फिर सोचा कि इसे हटाना है तो फिर कौन आ सकता है तो सपा। इसलिए उत्तर प्रदेश का मुस्लिम और पिछड़ा अपने को सपा की शरण में ले गया। यह बातें भी चुनाव के बाद मोटे तौर पर जनता के बीच से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि सतही तौर पर कोई दल यदि परिवर्तन चाहता है तो उसे आज से ही उत्तर प्रदेश की सेवा में लगना होगा। चुनावी उत्सव में उत्सवी भाव और उत्सवी व्यक्तित्वों की तरह प्रगट होने से जमीनी परिणाम लाना कठिन हो जाता है। मुझे याद है बिहार में कांग्रेस और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेसं की जो दुर्गति हुई उसका मुख्य कारण यही है कि फर्जी गांधी परिवार (मां–बेटे की पार्टी) नेतृत्व वाली कांग्रेस ने अपने दोनों नेताओं को भगवान के दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। अब देखें कि अगर आज कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की जगह कोई दूसरा होता तो क्या उसे कांग्रेसी अब तक पद पर बरकरार रहने देते, कदापि नहीं। है किसी में हिम्मत? है कोई माई का लाल, जो श्रीमती सोनिया या उनके पुत्र राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर छोड़ अकेले में जाकर सुझाव स्वरूप कह सके कि आप दोनों इस्तीफा दे दें। जरा सोचें कि अगर सोनिया गांधी की जगह कोई और होता तो क्या कांग्रेसी उन्हें छोड़ देते। जो कांग्रेस दिन को दिन और रात को रात न कह सके या जिस कांग्रेस में जिम्मेदारी लेने की सोच ही समाप्त हो गई हो तो वहां किस बात की अपेक्षा की जा सकती है। कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं करती। यही कारण है कि कांग्रेस आम लोगों से दूर होती चली गई। कांग्रेस अब एक सुविधाशील पार्टी हो गई और संघर्ष से उसका कोई सीधा संबंध नहीं रहा। मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी देश की जनता का मिजाज (माईंडसेट) नहीं समझ पायी है। जनता किसी की गुलाम नहीं है और अब उसके साथ वर्षों तक भावनात्मक रूप से कालाबाजारी नहीं कर सकते। बिहार में मात्र चार और

उत्तर प्रदेश में मात्र 28 सीटों से कांग्रेस देश के 2014 का आम चुनाव कैसे जीत सकेगी? वहीं दोनों नेता – श्रीमती सोनियाजी और राहुलबाबा की चुनाव में धुनाई होने के बाद अब कांग्रेस किसे आगे लाएगी?

क्या पिटे–पिटाए मोहरों को लेकर कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में भाग लेगी या फिर कुछ फेर–बदल होगा? कांग्रेस के साथ यह बात भी आई कि उसके सर्वप्रिय नेताओं के दोनों क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है कि उनके अपने क्षेत्रों में ही जनता उनसे नाराज है। जनता–जर्नादन ने एक सिरे से कांग्रेस और उनके नेताओं को खारिज कर दिया।

कांग्रेस और भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है पर उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा को एक साथ, एक स्वर और जनस्वर को ध्यान में रखकर सतत् संघर्ष की साधना करने वालों के कंधे पर जिम्मेदारी सौंपनी होगी। उत्तर प्रदेश में 'संगठन' में आमूलचूल परिवर्तन और नौजवानों को आगे लाना होगा ताकि भाजपा सन् 2014 में वहां से सांसदों का वह अंकं प्राप्त कर सके जो उसंने सोच रखा है।

भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशा की बात जहां मात्र उत्तर प्रदेश में रही, वहीं उनको पंजाब, गोवा और उत्तराखण्ड से साहस और ढाढस दोनों प्राप्त हुआ है। यह बात सही है कि कांग्रेस से भाजपा ने गोवा की सरकार छीन ली और अपना कब्जा पंजाब में बरकरार रखा, पर पंजाब में यह देखने वाली बातें है कि भाजपा की सीटें किन कारणों से कम हुई। उत्तराखण्ड में भी जनता दोषी नहीं, स्वयं भाजपा को ध्यान देना होगा।

यहां एक बात यह भी है कि भाजपा को जमीनी लड़ाई जमीन पर लड़नी होगी और कागजी लड़ाई कागज पर। हर संगठन में कुछ जमीनी नेता होते हैं, कुछ कागजी। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जमीनी व्यक्ति को कागजी काम और कागजी व्यक्ति को जमीनी काम नहीं देना चाहिए। दूसरा, जमीन पर अधिक, कागज पर कम भरोसा करना पड़ेगा। जमीन का कागज होता है, पर कागज की जमीन नहीं होती।

अंततः जमीन पर भाजपा के काम को मजबूत करना होगा। अभी समय है और समय रहते जमीन पर रूपरेखा बनाई जाये तो यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भाजपा अपने जमीन के भरोसे विरोधियों को उत्तर प्रदेश में पानी पिलायेगी और 2014 में अपनी जीत का डंका बजायेगी। ■

घोषणा-पत्र

समाचार–पत्र का नाम		:	dey In'k
समाचार–पत्र की पंजीयन संख्या		:	दिल्लीइन/2006/16953
भाषा/भाषाएं, जिसमें/जिनमें समाचार–पत्र प्रकाशित किया जाता है		:	हिन्दी
इसके प्रकाशन का नियमकाल तथा जिस दिन/दिनों/तिथियों को यह प्रकाशित होता है।		:	पाक्षिक
समाचार–पत्र की फुटकर कीमत		:	केवल 10 रूपए
प्रकाशक का	नाम	:	डा. नन्दकिशोर गर्ग
	राष्ट्रीयता	:	भारतीय
	पता	:	11, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001
मुद्रक का	नाम	:	डा. नन्दकिशोर गर्ग
	राष्ट्रीयता	:	भारतीय
	पता	:	11, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001
सम्पादक का	नाम	:	प्रभात झा
	राष्ट्रीयता	:	भारतीय
	पता	:	11, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001
जिस स्थान पर मुद्रण का काम होता है, उसका सही तथा ठीक विवरण		:	एक्सेल प्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55
प्रकाशन का स्थान		:	डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग नई दिल्ली–03

कमल सन्देश परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों को वर्ष प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं

पंजाब में अकाली–भाजपा की वापसी, रचा इतिहास

गोवा में खिला कमल

कांग्रेस को करारा झटका

&dey lan'k C;jk

Qरवरी और मार्च महीने में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हो गया है कि जनता ने कांग्रेस को करारा झटका दिया जबकि भारतीय जनता पार्टी को हौसला मिला। भाजपा ने गोवा में कांग्रेस से सत्ता छीन ली। पंजाब में अकाली दल–भाजपा गठबंधन ने इतिहास रचते हुए सत्ता में वापसी की। उत्तराखंड में परिणाम भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए लेकिन उसे सम्मानजनक सीटें मिली। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से बेदखल करते हुए भारी बहुमत हासिल किया, भाजपा एवं कांग्रेस के लिए परिणाम निराशाजनक रहे। केवल मणिपुर में ही कांग्रेस को इन चुनावों में थोड़ी सी राहत मिली है। जहां कांग्रेस को चुनौती थी ही नहीं।

उत्तर प्रदेश

उत्तरप्रदेश में सात चरणों में 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए चुनावों में समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उसने

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस के खिलाफ बताया है। श्री गडकरी ने पंजाब में अकाली दल–भाजपा गठबंधन की सत्ता में वापसी को ऐतिहासिक करार दिया, वहीं गोवा और उत्तराखण्ड में सरकार को लेकर विश्वास जताया। उत्तर प्रदेश के नतीजों को उन्होंने उम्मीद के विपरीत जरूर बताया लेकिन साथ ही कहा कि वहां समाजवादी पार्टी (सपा) को प्रमुख विपक्षी दल होने का फायदा मिला।

श्री गडकरी ने कहा कि पंजाब में सत्ता विरोधी लहरों को पीछे छोड़ते हुए हमारे गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। गोवा में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें वहां शानदार सफलता मिली है। हमारे ऊपर अक्सर यह लांछन लगाया जाता है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं लेकिन गोवा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों ने हमारे पक्ष में मतदान किया। गोवा को हमने कांग्रेस से छीना है।

उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि हम उत्तराखण्ड में भी सरकार बनाने में सफल होंगे। तीन राज्यों में हमें अच्छी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के नतीजों पर श्री गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दो दलों के बीच वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के खिलाफ माहौल था, जिसका फायदा उठाने में सपा सफल रही। जब दो पार्टियों के बीच वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो नतीजे ऐसे ही आते हैं। यहां उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले।

उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि अमेठी, रायबरेली में कांग्रेस की जो हालत हुई है। राहुल गांधी के तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन सिफर रहा है। मैं कांग्रेस नेतृत्व पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए करारा झटका हैं। जबकि ये नतीजे भाजपा को ताकत देंगे। रही बात उत्तर प्रदेश में कमियों की, तो हम उसका विश्लेषण करेंगे। ■

224 सीटों पर विजय हासिल करके पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। सत्तारूढ़ बसपा दूसरे और भाजपा तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस गठबंधन चौथे स्थान पर खिसक गया। बसपा को 79, भाजपा को 47, कांग्रेस को 28 और राष्ट्रीय लोकदल को 9 सीटें मिलीं तथा अन्य के खाते में 14 सीटें गईं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से 357 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। प्रदेश में सत्तारूढ़ बसपा ने सभी 403 सीटों पर, सपा 402, भाजपा 398 और रालोद 46 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। विदित हो कि तुष्टिकरण और गुंडाराज की राजनीति से परेशान जनता ने 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत देकर विश्वास जताया। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में अनगिनत घपले, घोटाले, भट्टा परसौल कांड, किसानों पर फायरिंग, जमीनों पर कब्जे, एनआरएचएम से जुड़े लोगों की मौत ने इस विश्वास को तोड़ दिया।

दलगत स्थिति : उत्तर प्रदेश

	2012	2007
l ik	224	97
c l ik	80	206
Hkk t ik	47	51
dkx l	28	22
jkykn	9	10
vU;	14	17

d y lhV & 403

पंजाब

पंजाब की 117 में से 68 सीटें जीतकर शिरोमणि अकाली दल (शिअद)–भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन ने पंजाब में जीत का नया इतिहास रच दिया। अकाली दल 56 और भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर विजयी रही। राज्य के 1966 में गठन के बाद यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल या गठबंधन ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है।

कांग्रेस को केवल 46 सीटें मिली हैं और उसकी ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रनइंदर सिंह अपने गृह क्षेत्र पटियाला जिले के समाना में हार गए हैं।

जीत का श्रेय प्रदेश की जनता को : प्रकाश सिंह बादल

पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने विधानसभा में चुनाव में अकाली–भाजपा गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय जनता को देते हुए कहा कि पिछले पांच साल के दौरान विकास के एजेंडे और शांति कायम रहने से उन्हें मदद मिली।

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर लोगों का विश्वास है जिसके चलते एसएडी–भाजपा को पंजाब में जीत मिली। मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि राज्य के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। श्री सुखबीर बादल ने अकाली–भाजपा गठबंधन में विश्वास व्यक्त करने के लिए लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया जिससे राज्य में लगातार दोबारा एक सरकार के आने का इतिहास रच गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जीत का श्रेय पंजाब की जनता को जाता है। पार्टी अध्यक्ष श्री सुखबीर बादल ने कहा कि लोगों ने अच्छे काम के लिए मतदान किया। मुख्यमंत्री ने इस जीत में बड़ी भूमिका निभाने के लिए अपने पुत्र सुखबीर सिंह बादल को भी श्रेय दिया और कहा कि उन्होंने अच्छे प्रचार अभियान की योजना बनाने में कड़ी मेहनत की। श्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि मैं पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका से पूरी तरह संतुष्ट हूं।

मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने–अपने चुनाव क्षेत्र में भारी मतों के अंतर से जीते हैं। प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ परिवार में बगावत करने वाले उनके भतीजे मनप्रीत बादल की पार्टी का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया है। वह दोनों जगह से हार गए हैं जबकि उनके पिता गुरदास बादल अपने भाई प्रकाश सिंह बादल से बुरी तरह से हार गए हैं।

दलगत स्थिति : पंजाब

	2012	2007
vdkyh ny	56	48
Hkktik	12	19
dkaxsl	46	44
vU;	3	6

dqy lhVsa & 117

गोवा

गोवा विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी गठबंधन ने कुल 40 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज करके कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन से सत्ता छीन ली। 40 सीटों में से भाजपा एमजीपी गठबंधन को जो 24 सीटें मिली है उनमे भाजपा को 21 और एमजीपी को तीन सीटों पर जीत मिली। इस तरह भाजपा–एमजीपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस गठबंधन ने नौ सीटों पर जीत दर्ज की। सात सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। राकांपा का राज्य में पूरी तरह सफाया हो गया। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी राकांपा को एक भी सीट नहीं मिल सकी। गोवा में कांग्रेस–राकांपा की मिली जुली सरकार थी। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस बार चुनावी वैतरणी पार नहीं कर सके।

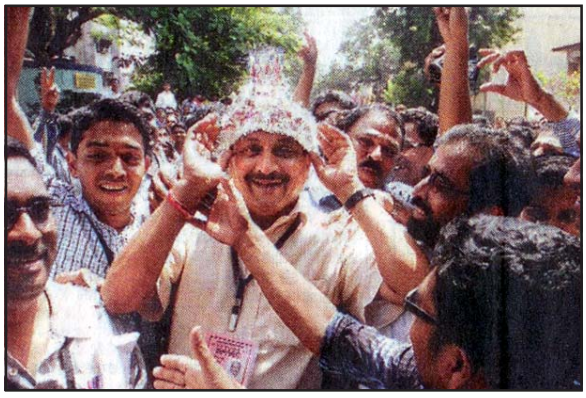

चर्चिल अलेमाओ परिवार के चारों प्रत्याशी चुनाव हार गए। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस–राकांपा सरकार के जो बड़े मंत्री चुनाव हारे, उनमें चर्चिल अलेमाओ, जोआक्विम अलेमाओ, मनोहर असगांकर, फिलिप नेरी रॉड्रिक्स, जोस फिलिप डिसूजा, निकांत हलारनकर आदि शामिल हैं। भाजपा के जो मुख्य नेता चुनाव जीतने में कामयाब रहे उनमें गणेश गांवनकर, महादेव नाइक, किरन कांडोलकर, अनंत शेत, रमेश तवाडकर और निलेश काबराल शामिल हैं। चुनाव रुझान आते ही पार्टी के राज्य कार्यालय पर यहां दोपहर से ही जश्न शुरू हो गया।

'लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए भाजपा को वोट दिया'

भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने जीत के तुरंत बाद कहा कि भाजपा राज्य में सुशासन लाने के अपने वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी और चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को अमल में लाने के लिए एक समयसारिणी भी तैयार करेगी। भाजपा ने राज्य में पेट्रोल के दाम 55 रुपए करने का वादा किया था और सरकार के शपथ लेने के बाद बजट सत्र में सबसे पहले इसी को पूरा किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत पारसेनकर ने मंदरेम क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद कहा कि लोग राकांपा– कांग्रेस गठबंधन में व्याप्त भ्रष्टाचार से आजिज आ चुके हैं। यह गठबंधन हर मोर्चे पर विफल रहा। गोवा में भाजपा प्रवक्ता विष्णु सूर्या वाघ ने कहा कि यह जनादेश बदलाव के लिए आया है।

दलगत स्थिति : गोवा

	2012	2007
Hkktik	21	14
dkaxsl	9	16
,ethih	3	3
vU;	7	7

dqy lhVsa & 40

उत्तराखंड

उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला रहा लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिला। 70 सीटों की उत्तराखंड विधानसभा

में कांग्रेस के खाते में 32 सीट गई तो भाजपा को 31 सीट मिली। बसपा 3 सीटों पर जीती और तीन निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। एक सीट उत्तराखण्ड क्रांति दल के पास गई। भाजपा के लिए एक बुरी खबर रही कि उसके निवर्तमान मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी कोटद्वार से चुनाव हार गए।

दलगत स्थिति : उत्तराखण्ड

	2012	2007
dkxsl	32	21
Hkktik	31	34
clik	3	8
mØkn	1	3
vU;	3	4
dqy lhV& 70		

परिणाम अपेक्षा अनुरूप नहीं, लेकिन पार्टी मजबूत स्थिति में : खंडूड़ी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी ने नतीजे घोषित होने के बाद कहा कि वह केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा दी जाने वाली किसी भी जिम्मेदारी को संभालने को तैयार हैं। अपनी हार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने इसकी वजह क्षेत्र को कम समय देना बताई। अपने आवास पर बातचीत में श्री खंडूड़ी ने कहा कि कोटद्वार की जनता उन्हें 1991 से सप्पोर्ट करती आ रही है लेकिन इस बार ऐसा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बेशक वह सीट नहीं बचा पाए लेकिन सूबे में भाजपा आज मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि केन्द्रीय नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे छोटे से कार्यकाल में पूरा कर सके हैं।

मणिपुर

मणिपुर में कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 42 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, जबकि विपक्षी दलों का गठबंधन काफी पीछे रह गया। तृणमूल कांग्रेस ने सात सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी के खाते में चार सीटें गई हैं। नागा पीपुल्स फ्रंट ने तीन सीटें जीती हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी एक–एक

सीट हासिल करने में कामयाब रही।

दलगत स्थिति : मणिपुर

	2012	2007
dkxsl	42	30
r`.kewy dkxsl	7	–
,uih,Q	4	–
,e,lihih	5	–
jkdkik	1	5
yktik	1	–
dqy lhV & 60		

■

संपादकीय टिप्पणियां

गत 6 मार्च को आए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर प्रमुख समाचार–पत्रों ने अपनी संपादकीय टिप्पणी में लिखा कि कांग्रेस को इस चुनावों में करारा झटका लगा है और देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और महंगाई के चलते कांग्रेस के खिलाफ हवा बह रही है। हम इन संपादकीय टिप्पणियों के प्रमुख अंश यहां प्रकाशित कर रहे हैं :

नई दुनिया

कांग्रेस को तगड़ा झटका

पांच राज्यों के चुनाव नतीजों का अगर कोई एक प्रखर संकेत है तो वह यह है कि देश में हवा कांग्रेस के खिलाफ बह रही है और आवेग इतना प्रबल है कि कांग्रेस अमेठी, रायबरेली और सुलतानपुर जैसे नेहरू–गांधी परिवार के पुराने दुर्गों को भी नहीं बचा पाई है। ...कांग्रेस के क्षय का कारण देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और महंगाई में तो रहा ही है, संगठन का अभाव, नेताओं की आपसी खींचातानी और नेहरू–गांधी परिवार की निर्लज्ज चाटुकारिता भी बड़े कारण हैं। सकारात्मक बात सिर्फ यह है कि एक सच्चे कप्तान की तरह राहुल गांधी ने पराजय की जिम्मेदारी स्वीकार की है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बुनियादी ढांचा कमजोर होने की बात भी उन्होंने स्वीकार की है। लेकिन पंजाब और गोवा में कांग्रेस हार चुकी है और उत्तराखंड में भी सत्ता में आने के उसके प्रयासों को तगड़ा आघात लगा है। ...उत्तर प्रदेश और पंजाब में प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं लेकिन फिर भी वह चाहे तो पंजाब और गोवा में अपने गठबंधन की जीत से संतोष कर सकती है।

जनसत्ता

चुनाव के संकेत

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव इतने अहम माने गए कि इन्हें दो साल बाद होने वाले आम चुनाव का 'सेमी फाइनल' भी कहा गया। इन चुनावों की अहमियत सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के कारण है, जहां विधानसभा की चार सौ तीन और लोकसभा की अस्सी सीटें हैं। राहुल गांधी को आगे कर उत्तर प्रदेश को कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया था। अगर यहां पार्टी को अच्छी कामयाबी मिलती तो उसे राहुल गांधी की लोकप्रियता के सबूत के तौर पर पेश किया जाता और शायद केंद्र में उनकी ताजपोशी का माहौल भी बनने लगता। लेकिन कांग्रेस को जबर्दस्त झटका लगा है। राहुल भले कहें कि उत्तर प्रदेश में निराशाजनक परिणाम की जिम्मेवारी उनकी है, पर पार्टी उन्हें इसकी आंच से बचाने में जुट गई है। आखिर उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने राज्य की तस्वीर बदल देने के उनके आह्वान पर भरोसा क्यों नहीं किया? ...कांग्रेस जिस तरह ओबीसी आरक्षण में नए कोटे का वादा बार–बार उछाल कर मुसलिम कार्ड खेलने में लगी रही, उससे लोगों में यही संदेश गया कि उसके पास कोई नया एजेंडा नहीं है। ...केंद्र सरकार की साख में आई कमी के कारण कांग्रेस सुशासन का मजबूत दावा पेश करने की हालत में नहीं है।

अमर उजाला

कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी

आगामी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे किसी के लिए अगर सबसे ज्यादा हताशाजनक हैं, तो वह निश्चित रूप से यूपीए है। उसमें भी खासकर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के आक्रामक चुनाव प्रचारों और उनके सिपहसालारों की बड़ी–बड़ी घोषणाओं के बावजूद कांग्रेस जिस तरह औंधे मुंह गिरी है, वह स्तब्ध करने वाला है। अमेठी, रायबरेली और कानपुर में तो कांग्रेस का हाल बुरा हुआ ही, अमिता सिंह और लुइस खुर्शीद जैसी कद्दावर समझी जाने वाली शख्सियतों को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेसी मंत्रियों के अहंकार व भ्रष्टाचार को लेकर कभी आत्मस्वीकार की जहमत नहीं उठाई गई। पंजाब में 46 वर्षों में पहली बार कोई सरकार दोबारा सत्ता में आई है, तो इसके पीछे शिअद–भाजपा गठबंधन का बेहतर कामकाज भी रहा।

पंजाब केसरी

कांग्रेस के सफाये की वजह?

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इन्होंने स्पष्ट सन्देश दे दिया है कि भारत के मतदाता 19वीं सदी से निकल कर 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं जहां वे पार्टी व व्यक्ति की योग्यता को आंक कर ही अपना मत देना पसन्द करते हैं। मगर मुझे कांग्रेसियों पर हैरानी होती है कि वे सब खुली आंख से दूध में पड़ी मक्खी देख कर भी घोषणाएं कर रहे हैं कि दूध बिल्कुल शुद्ध है और इसमें मक्खी तो क्या तिनका भी नहीं पड़ा हुआ है। इन कांग्रेसियों ने उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए जो अधर्म किया है उसका जवाब इस राज्य की महान जनता ने दे दिया है और इस पार्टी को उसकी असली जगह दिखा दी है। ■

रामलीला मैदान कहर पर सुश्रीम कोर्ट का निर्णय : मोरारजीभाई का स्मरण

& ykyÑ".k vkMok.kh

मैं बहुत कम ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी जन्म तिथि 29 फरवरी को पड़ती है जोकि चार वर्ष में एक बार आती है। लेकिन इस श्रेणी में आने वाले एक प्रमुख व्यक्ति भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई को मैं जानता हूं। यह वर्ष 2012 लीप वर्ष है। मोरारजी भाई के पड़पोते मधुकेश्वर देसाई ने मुझे वलसाड के एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जोकि सूरत से लगभग एक सौ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहां पर मोरारजी भाई की पैतृक सम्पत्ति अभी भी मौजूद है, और यहां उनके परिवार के पास कुछ सम्पत्ति भी है जिसे उन्होंने सामाजिक संगठनों को दे दिया था।

भारत अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ। 14–15 अगस्त की मध्यरात्रि को पंडित नेहरु ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। 1962 में चीन के हाथों भारत को सैन्य पराजय झेलनी पड़ी। पंडित नेहरु चीन के विश्वासघात को सहन नहीं कर सके और 1964 में उनका निधन हो गया। पंडितजी के बाद लालबहादुर शास्त्री उनके उत्तराधिकारी बने। शास्त्रीजी के लिए ताशकंद महंगा साबित हुआ। मास्को द्वारा उन्हें ताशकंद समझौते के लिए तैयार करने पर वे समझौते के बाद जीवित नहीं रह सके।

सन् 1966 में इंदिराजी ने सत्ता की बागडोर संभाली और एक के बाद एक दो–1967 और 1971 के लोकसभाई चुनाव जीते। लेकिन उनकी सरकार द्वारा 1975 में देश पर थोपा गया आपातकाल कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ।

सन् 1977 में स्वतंत्रता के तीस वर्ष पश्चात् स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली में श्री मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में एक गैर–कांग्रेसी सरकार बनी। केंद्र सरकार में भाग लेने का जनसंघ के लिए यह पहला अवसर था। वाजपेयीजी, मध्यप्रदेश के बृजलाल वर्मा और मैं जनसंघ की ओर से मोरारजी भाई के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए।

गत् 29 फरवरी को वलसाड में मोरारजी भाई के सम्मान में हुई अच्छी–खासी सभा में मैंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के जिन दो दिग्गजों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला उनमें जयप्रकाश नारायण और मोरारजीभाई में मैंने पाया कि वे कभी भी अपने सिद्धान्तों या आचरण से समझौता करने को तैयार नहीं थे। 1979 में जब मोरारजी भाई की सरकार तथाकथित दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर संकट का सामना कर रही थी तब संकट सुलझाने के उद्देश्य से वाजपेयीजी, बृजलाल वर्मा और मैं मोरारजी भाई के पास गए तथा अपने त्यागपत्र उन्हें सौंप दिए। वास्तव में जनता पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखर मुझसे मिले और सुझाया कि संभवतया यह संकट से निपटने में यह कदम सहायक हो सकता है। लेकिन जैसाकि मैंने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि:

"मोरारजीभाई ने उस प्रस्ताव पर विचार तक नहीं किया। उन्होंने यह कहते हुए तुरंत उसे ठुकरा दिया, 'आप क्यों त्यागपत्र देंगे? आपने क्या गलती की है? चाहे आपका यह प्रस्ताव मेरी सरकार की मदद करे, लेकिन मेरे द्वारा आपके त्यागपत्र स्वीकार करना अनैतिक होगा। आपको सरकार छोड़ने के लिए कहने के बजाय मैं स्वयं सरकार छोड़ना पसंद करुंगा।"

♦♦♦

सन् 1977 में स्वतंत्रता के तीस वर्ष पश्चात् स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार नई दिल्ली में श्री मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में एक गैर–कांग्रेसी सरकार बनी। कें• सरकार में भाग लेने का जनसंघ के लिए यह पहला अवसर था।

रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के अनुयायियों पर दिल्ली पुलिस की बर्बर कार्रवाई के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले में 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में 'रामलीला ग्राउण्डः ट्राइस्ट विद हिस्ट्री' शीर्षक से प्रकाशित लेख के अंशों को उद्धृत किया गया है। ब्लॉग के पाठकों को यह अंश दिलचस्प लगेंगे।

फैसले का ६०वां पैराग्राफ कहता हैः

रामलीला मैदान ने 1960 और 1970 के दशक के देश के राजनीतिक मूड का सही–सही बैरोमीटर उपलब्ध कराया था जिसका अदांजा 18 अगस्त, 2011 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक लेख से पता चलता है जिसमें लिखा गया हैः

"रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ 25 जून, 1975 को एक विशाल रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सशस्त्र सेनाओं से इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का आव्हान किया। रामधारी सिंह दिनकर को उद्धृत करते हुए जेपी ने हुंकार भरी "सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है।" उसी रात को देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। दो वर्ष के भीतर ही इसी मैदान पर दूसरी विपक्षी रैली हुई जिसे अनेक राजनीतिक समीक्षकों ने इतिहास बनाने वाली घटना कहा। फरवरी, 1977 में, आपातकाल के हटने से एक महीने से ज्यादा पहले जगजीवन राम के नेतृत्व में– कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली सार्वजनिक सभा–मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह और चन्द्रशेखर ने एक संयुक्त रैली की।

रामलीला मैदान ने 1960 और 1970 के दशक के देश के राजनीतिक मूड का सही–सही बैरोमीटर उपलब्ध कराया था जिसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1972 में, जेपी रैली से लगभग तीन वर्ष पूर्व, इंदिरा गांधी ने बंगलादेश युद्ध में पाकिस्तान पर भारत को विजय के उपलक्ष्य में विशाल रैली को संबोधित किया था। 1965 में, जब देश पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था तब यहीं से तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया था।

दिल्ली के इतिहासकार रोनाल्ड विवियन स्मिथ के अनुसार मैदान वास्तव में एक तालाब था जिसे 1930 के दशक की शुरुआत में भर दिया गया ताकि लाल किले के पीछे बाढ़ वाले मैदान से यहां वार्षिक रामलीला हो सके। शीघ्र ही यह राजनीतिक सभाओं का लोकप्रिय स्थान बन गया जहां गांधीजी, नेहरु, सरदार पटेल और अन्य शीर्ष राष्ट्रवादी नेताओं ने रैलियों को संबोधित किया। एक किस्सा यह बताया जाता है कि 1945 में जिन्ना मुस्लिम लीग की रैली में यहां पर थे कि भीड़ में से उन्होंने अपने बारे में 'मौलाना' शब्द सुना। उन्होंने क्रोध से कहा कि वह एक राजनीतिक नेता हैं और ऐसा भयावह शब्द उनके लिए कभी प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। 1980 और 90 के दशकों में वोट क्लब शक्ति प्रदर्शन का पसंदीदा स्थान बना गया। लेकिन अयोध्या आंदोलन की उथल–पुथल के चलते नरसिम्हा राव सरकार द्वारा सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरुप राजनीतिक स्पाटलाईट अपने वास्तविक स्थान–रामलीला ग्राउण्ड–पर वापस लौट गई।

♦♦♦

मेरे सहयोगी अरुण जेटली ने पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुबोधक विश्लेषण मीडिया को जारी किया। उन्होंने न्यायालय को नागरिकों द्वारा सरकारी निर्णय के विरुद्ध असहमति के चलते शांतिपूर्ण विरोध के अधिकारों को सही ठहराया है। लेकिन उन्होंने मजबूती से न्यायालय के निर्णय के दूसरे भाग पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है।

जेटली कहते हैः "सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक ऐतिहासिक कानून की स्थापना की है और साथ ही साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति और एकत्र होने के मौलिक अधिकार को सही ठहराया है। बहरहाल, इस फैसले में एक बेहद संशयपूर्ण 'वाक्य' कि एक बार यदि प्रदर्शन का अधिकार रोक दिया जाये तो प्रदर्शनकारी को चुपचाप उसे स्वीकार कर लेना चाहिए अन्यथा वह पुलिस की बर्बरता में 'साझा लापरवाही' का जिम्मेदार माना जाएगा, से मौलिक अधिकार की नींव हिल गई है।

अदालत के फैसले के इस हिस्से पर व्यापक बहस और सम्भव हो तो पुनर्विचार किये जाने की जरुरत है।

मोरारजी भाई के तीन खण्डों वाले 'दि स्टोरी ऑफ माई लाइफ' संस्मरणों में उल्लिखित है कि जब आपातकाल के दौरान मोरारजीभाई कारावास में थे, तो एक मौके पर उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी का एक संदेश मिला जिसमें अनेक शर्तें गिनाते हुए संकेत दिया गया था कि यदि विपक्ष उन्हें मान ले तो वह आपातकाल हटाने पर विचार कर सकती हैंः मोरारजी भाई कहते हैंः "उन्होंने (इंदिरा गांधी) आपातकाल हटाने के लिए अनेक शर्तें रखी थी। उसमें सत्याग्रह के अधिकारी को भी छोड़ना था। दूसरों का इस बारे में चाहे कुछ भी विचार हो मगर मैं इस बहुमूल्य और अभिन्न मानवाधिकारों और कर्तव्यों को छोड़ने के बजाय मर जाना बेहतर समझूंगा। मैं आपातकाल जैसी स्थितियों में प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षा जीवनभर कैद में रहना बेहतर समझूंगा। मैं मानता हूं कि राष्ट्र और समाज के भविष्य के लिए जब तक आशा रहेगी तब तक कुछ लोग स्वतंत्रता की मशाल जलाए रखने के लिए कठिन से कठिन दण्ड भुगतने को तैयार रहेंगे।"■

सर्वोच्च न्यायालय ने जन-अधिकारों की रक्षा की

& v#.k tVyh

प्रीम कोर्ट ने 4–5 जून, 2011 की आधी रात दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई घटना के बारे में ऐतिहासिक फैसला दिया है। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव और उनके समर्थक भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार और कालेधन के होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। वे भ्रष्टाचार एवं कालेधन की बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाये जाने में दिखाई जा रही हिचकिचाहट के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे।

निःसंदेह प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वैकल्पिक विचार रखना और इसकी स्वीकार्यता के लिए प्रदर्शन करना लोकतंत्र का मूल है। 'सत्याग्रह' शब्द का प्रादुर्भाव दक्षिण अफ्रीका में 1906 में एक न्यूज शीट 'इण्डियन ओपिनीयन' से हुआ था। यह गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक प्रतिस्पर्धा प्रवृष्टि से लिया गया था। सत्याग्रह का सार अहिंसा के साथ–साथ विरोध भी था। इसकी शक्ति सत्य में निहित है और क्षमता संघर्ष में। सत्याग्रही व्यक्ति को अपने कार्य के प्रतिकूल परिणाम भी स्वयं भुगतने पड़ते हैं। उसे अपने संघर्ष के परिणामस्वरूप मिलने वाले दंड को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को संवैधानिक अधिकार माना है। अदालत ने बिल्कुल सही कहा है–

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हक के लिए इकट्ठा होना और घटने के माध्यम से प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल पहलू हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लोगों को सरकार के फैसलों और कार्यों के खिलाफ आवाज उठाना या किसी भी सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर अपने आक्रोश को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। सरकार को ऐसे अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और सच कहा जाये तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। यह सरकार का कर्तव्य है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, जैसा कि इसे व्यापक अर्थों में समझा जाता है, के क्रियान्वयन में सहायता करनी चाहिए न कि अपनी कार्यपालिका अथवा विधायी शक्तियों का प्रयोग करके उनका दमन अथवा उन्हें दबाना चाहिए और उचित प्रतिबंधों के नाम पर उस दिशा में आदेश पास करने चाहिए (अथवा कार्यवाही करनी चाहिए)'।

अब उचित प्रतिबन्धों के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एकत्रित होने के अधिकार का आवश्यक हिस्सा है। निःसंदेह इस अधिकार का कारगर ढंग से क्रियान्वयन सरकार का सकारात्मक दायित्व है।

हालिया अनुमानों से पता चला है कि राजनीतिक प्रतिष्ठान ऐसे अधिकारों को कमजोर बनाने और उन्हें कुचलने के लिए पुलिस बल प्रयोग को प्रोत्साहन देते हैं। टीम अन्ना को विरोध प्रदर्शन के लिए शहर के बीचों–बीच स्थित किसी स्थान को अलाट कराने में बार–बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। विरोध का आकार बड़ा न हो बल्कि छोटा हो, इसके लिए पुलिस शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। जब रामलीला मैदान और शहर के बीचों–बीच स्थित अन्य बड़े खुले स्थान उपलब्ध हैं, हाल के अनुभवों से पता चला है कि प्रदर्शन करने के लिए ऐसे स्थलों का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को हतोत्साहित करने हेतु पुलिस की शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस प्रकार की हरकतों का संज्ञान लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि बाबा रामदेव और उनके समर्थकों का प्रदर्शन

बिल्कुल शांतिपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि :

"वहां पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ या झड़प नहीं हुई थी और बाबा रामदेव के समर्थक शांतिपूर्ण ढंग से लाइनों में खड़े थे जो लगभग दो किलोमीटर लम्बी थीं। यदि पुलिस समर्थकों की संख्या 5000 तक सीमित रखना चाहती थी तो वह आसानी से समर्थकों को गेट पर ही रोक सकती थी। परन्तु इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं की गई।

पुलिस के आचरण से संकेत मिलता है कि उसे सरकार की तरफ से निर्देश मिले थे और उपस्थित लोगों की संख्या के बारे में उनका वर्तमान स्टैंड बाद में आये विचार के अलावा और कुछ नहीं है।"

कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के आचरण का उल्लेख करते हुए आगे यह बताया कि –

"निःसंदेह उल्लिखित किसी भी शर्त का बिल्कुल उल्लंघन नहीं हुआ और इस कारण पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दी गई अनुमति को वापस लेने का कोई कारण नजर नहीं आता। ... .यदि तर्कों की आड़ में यह मान लिया जाता है कि पुलिस से अनुमति मांगना जरूरी था और पुलिस को इस प्रकार की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार प्राप्त था और इस अधिकार का कानून के अनुसार पालन किया गया था, तो उस स्थान पर उपस्थित लोगों को तितर–बितर करने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने से पूर्व इस प्रतिवादी और लोगों को यह हक प्राप्त था कि उन्हें स्पष्ट और पर्याप्त नोटिस दिया जाता।

वर्तमान मामले संबंधी तथ्यों और हालात के मद्देनजर रखते हुए धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश नहीं दिया जा सकता था.....।

वास्तव में यह आदेश पूर्व नियोजित तरीके से केवल इस उद्देश्य से दिया गया कि बाबा रामदेव निर्धारित तारीख और समय पर अपना अनशन जारी न रख सकें .....।

रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजों से पता चलता है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने निःसंदेह अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया, वे रामलीला मैदान में उपस्थित लोगों के साथ बेवजह कड़ाई और हिंसा से पेश आये, जबकि कुछ अन्य पुलिसकर्मी वास्तव में वहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनके साथ सहायक बर्ताव कर रहे थे।"

रामलीला मैदान में 4–5 जून, 2011 को मध्यरात्रि को जो कुछ हुआ, वह कोर्ट के अंतिम निर्देश के बाद स्पष्ट हो चुका है। जब बाबा रामदेव और उनके समर्थक अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय धारा 144 गैर–कानूनी तरीके से लगा दी गई थी। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। उन्होंने उन पर लगाई गई हर शर्त का पालन किया था। पंडाल में प्रवेश पुलिस की देखरेख में हो रहा था। अचानक वहां पर जमा हुए लोगों को बलपूर्वक वहां से हटाने का निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में टिप्पणी की है –

"4–5 जून, 2011 की आधी रात को रामलीला मैदान में सो रहे लोगों को वहां से बलपूर्वक हटाने का फैसला क्या पुलिस ने स्वतंत्र रूप से लिया या गृह मंत्रालय के परामर्श पर, यह बिल्कुल अनुचित था और इसमें कुछ हद तक निरंकुशता तथा शक्ति का दुरूपयोग हुआ है। बोलने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर लगाई गई रोक को विश्वसनीय कारणों और विद्यमान तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सही नहीं ठहराया जा सकता। यह उन्हें आपराधिक दंड संहिता की धाराओं के तहत उपलब्ध कानूनी संरक्षण पर हमला था। अतः प्रतिबंध अनुचित एवं गैर–जरूरी थे। इस कार्यवाही से सरकार की ताकत का प्रदर्शन किया गया और यह हमारे संविधान में दिये गये मूल लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है.....।

इस कोर्ट के समक्ष जो तथ्य और स्थितियां हैं; उनसे स्पष्ट है कि वहां पर आपातकाल के हालात नहीं थे।"

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि सरकार वहां पर उपस्थित लोगों को हटाना चाहती थी तो भी उन्हें उचित नोटिस दिया जाना चाहिए था। इसके विपरीत,

रामलीला मैदान में 4–5 जून, 2011 की मफ़रयरात्रि को जो कुछ हुआ, वह कोर्ट के अंतिम निर्देश के बाद स्पष्ट हो चुका है। जब बाबा रामदेव और उनके समर्थक अपने संवैफ़ाानिक अफ़्रिाकारों के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय फ़ारा 144 गैर–कानूनी तरीके से लगा दी गई थी। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण विरोफ़ा कर रहे थे। उन्होंने उन पर लगाई गई हर शर्त का पालन किया था। पंडाल में प्रवेश पुलिस की देखरेख में हो रहा था। अचानक वहां पर जमा हुए लोगों को बलपूर्वक वहां से हटाने का निर्णय लिया गया।

जरूरत से ज्यादा पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछार की गई, लाठी चार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गये, जिसके परिणामस्वरूप अनेक लोग घायल हो गये और एक महिला की मौत हो गई।

सुप्रीम कोर्ट के इन निष्कर्षों से नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा हुई है। कोर्ट के ये निष्कर्ष भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करने में बहुत अधिक सहायक होंगे। कोर्ट की इस टिप्पणी और इस प्रकार घोषित कानून से विरोध के अधिकार की रक्षा की पुष्टि हुई है और इस बात पर मोहर लगाई है कि लोकतंत्र और विरोध में सह–अस्तित्व है। इसके लिए अदालत को पूरा श्रेय जाता है।

> ***सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक ऐतिहासिक कानून की स्थापना की है और साथ ही साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति और एकत्र होने के मौलिक अधिकार को सही ठहराया है। बहरहाल, इस फैसले में एक बेहद संशयपूर्ण 'वाक्य' कि एक बार यदि प्रदर्शन का अधिकार रोक दिया जाये तो प्रदर्शनकारी को चुपचाप उसे स्वीकार कर लेना चाहिए अन्यथा वह पुलिस की बर्बरता में 'साझा लापरवाही' का जिम्मेदार माना जायेगा, से मौलिक अधिकार की नींव हिल गई है।***

हालांकि इसके बाद फैसला विभिन्न मोड़ ले लेता है। यह प्रत्येक कानूनी आदेश के पालन का दायित्व प्रदर्शनकारियों पर थोप देता है। निःसंदेह, इस मामले में न तो धारा 144 लागू किया जाना और न ही प्रदर्शन की अनुमति वापस लिया जाना अथवा लोगों को जबरदस्ती स्थल से हटाने का तरीका कानूनन संभव था। प्रदर्शनकारी इस प्रकार के आदेश को क्यों स्वीकार करें। तब ऐसे प्रदर्शनकारियों पर 'साझी लापरवाही' का सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है, जब वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हों? यह साझी लापरवाही का सिद्धांत कानून को बिगाड़कर बनाया गया है। इसका इस्तेमाल मौलिक अधिकार के दायरे को कम करने और उसके प्रयोग को सीमित करने के लिए नहीं किया जा सकता। साझा लापरवाही एक रक्षात्मक कदम है, जहां एक व्यक्ति, जो गलत है, अपने हित के लिए पर्याप्त सतर्कता बरतता है ताकि वह चोटिल होने से बच सके। यह एक कानूनी तर्क है, जो कानून को तोड़–मरोड़ कर बचाव पक्ष के पास उपलब्ध है। इसका इस्तेमाल मौलिक अधिकार को सीमित करने के लिए किया जाना पूरी तरह से अवांछित और गैर–कानूनी है।

भारत ने शांतिपूर्ण संघर्ष से स्वतंत्रता प्राप्त की। हल्का प्रतिरोध, नागरिक अवज्ञा और सत्याग्रह प्रदर्शन के सर्वविदित तरीके हैं। इनमें शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तौर–तरीके ही अपनाये जाते हैं। सत्याग्रह एक ऐसा हथियार है, जिसके माध्यम से दबाव बनाने के लिए सत्य का सहारा लिया जाता है। एक सत्याग्रही कानून तोड़ने और एक दमनकारी शासन से सहमत न होने के बदले में स्वयं सजा का पात्र बनता है। एक सत्याग्रही के अधिकार की तुलना 'साझी लापरवाही' से करने में इस ऐतिहासिक फैसले के तहत बने कानून का लाभ कमतर हुआ है। यदि कोई प्रदर्शनकारी अपने संवैधानिक अधिकारों की सीमा के भीतर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, तो वह अपने इस अधिकार को रोकने वाले अवैध कानून को न मानने का भी हकदार है। यदि आदेश कानून सम्मत है तो उसे सजा होने का जोखिम बना रहेगा, लेकिन जब कोई प्रदर्शनकारी धारा 144 का उल्लंघन करता है, तब वह सजा के लिए सदैव तैयार रहता है। घोषित कानून का अर्थ तो यह होगा कि जितनी बार प्रदर्शनकारी के प्रदर्शन करने के अधिकार पर सरकार द्वारा हस्तक्षेप होगा, उस स्थिति में या तो उसे तत्काल आदेश मानना होगा अन्यथा उस पर साझा लापरवाही का जिम्मेदार होने का खतरा बना रहेगा। एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार त्यागने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि सरकार ने उसके प्रदर्शन के अधिकार पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक ऐतिहासिक कानून की स्थापना की है और साथ ही साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति और एकत्र होने के मौलिक अधिकर को सही ठहराया है। बहरहाल, इस फैसले में एक बेहद संशयपूर्ण 'वाक्य' कि एक बार यदि प्रदर्शन का अधिकार रोक दिया जाये तो प्रदर्शनकारी को चुपचाप उसे स्वीकार कर लेना चाहिए अन्यथा वह पुलिस की बर्बरता में 'साझा लापरवाही' का जिम्मेदार माना जायेगा, से मौलिक अधिकार की नींव हिल गई है।

अदालत के फैसले के इस हिस्से पर व्यापक बहस और सम्भव हो तो पुनर्विचार किये जाने की जरूरत है।

¼y[kd Hkktik ds ofj"B urk o jkT;lHkk esa foi{k ds urk gSa½ ■

गुजरात - 2002 के बाद शान्ति के 10 वर्ष

& v#.k tVyh

dkई भी दंगा, चाहे वह धार्मिक, जातीय अथवा किसी अन्य उन्माद से प्रेरित हो, अपने पीछे गहरे घाव छोड़ जाता है। इसके कारण आदमी मारे जाते हैं, घायल होते हैं, नुकसान होता है और दुःख तथा तकलीफ होती है। यह समाज को बांटता है, यह लोगों का उनके जन्म चिह्नों के आधार पर ध्रुवीकरण करता है। प्रत्येक सभ्य समाज को ऐसे सामाजिक तनावों की बुराई से अपने–आपको मुक्त करना होगा।

गुजरात में लम्बे समय से ऐसे छोटे या बड़े दंगों का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास रहा है। व्यक्ति और घटनाएं इस प्रकार के झगड़ों के पीछे होते हैं। पिछला ऐसा बड़ा दंगा वर्ष 2002 में हुआ था। यदि मीडिया का एक वर्ग 2002 के गुजरात दंगों का बार–बार उल्लेख करता है, तो दंगों के बाद के 10 वर्षों पर भी नजर डालना समान रूप से महत्वपूर्ण है। गुजरात में गत एक दशक से कोई दंगा नहीं हुआ। आशा है कि 2002 की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोबारा कभी नहीं होंगी। आज गुजरात का एजेंडा भविष्य में समाज को बांटना नहीं है। यह एजेंडा आर्थिक विकास का है, प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार लाने का है और विश्व में सर्वाधिक सफल समाज के साथ स्पर्धा करने की इच्छा का है। वर्ष 2002 की यादों को गुजरातियों द्वारा फिर से ताजा नहीं किया जाता। उन्हें समाज में विद्यमान उन तत्वों द्वारा ताजा किया जाता है, जिनकी प्रासंगिकता विगत की दुःखद यादों को ताजा रखने में बनी रहती है।

गुजरात में गत एक दशक से कोई दंगा नहीं हुआ। आशा है कि 2002 की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोबारा कभी नहीं होंगी। आज गुजरात का एजेंडा भविष्य में समाज को बांटना नहीं है। यह एजेंडा आर्थिक विकास का है, प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुफ्रार लाने का है और विश्व में सर्वाफ्रिाक सफल समाज के साथ स्पफ्रार्धा करने की इच्छा का है। वर्ष 2002 की यादों को गुजरातियों द्वारा फिर से ताजा नहीं किया जाता। उन्हें समाज में विद्यमान उन तत्वों द्वारा ताजा किया जाता है, जिनकी प्रासंगिकता विगत की दुःखद यादों को ताजा रखने में बनी रहती है।

साबरमती एक्सप्रेस के एस–6 नम्बर के डिब्बे का 27 फरवरी, 2002 को जलाया जाना एक बर्बरतापूर्ण कार्य था। शरारती तत्वों ने इसकी योजना बनाई थी, जिसका मकसद देश में साम्प्रदायिक दंगे फैलाना था। इससे समाज को भारी आघात पहुंचा। अनेक लोगों को बदले की कार्यवाही करने हेतु गुमराह किया गया। हिंसा इतनी व्यापक हो गई थी कि राज्य का सुरक्षा–तंत्र कम पड़ गया। स्थिति को संभालने के लिए सेना को बुलानी पड़ी। इस हिंसा के कारण भारी संख्या में निर्दोष लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। पुलिस फायरिंग में भी सैकड़ों लोग मारे गये थे। वर्ष 1984 में नई दिल्ली में सिख–विरोधी दंगों से तुलना करने पर पता चलेगा कि उस समय पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति भी नहीं मारा गया था। हजारों आरोप–पत्र दाखिल किये गये, अनेक लोगों को दोषी पाया गया, कुछ मुकद्दमे लंबित पड़े हैं। अनेक महत्वपूर्ण मामले न्यायिक निगरानी में चल रहे हैं। उनकी जांचों की क्रास–चैकिंग की गई और कोर्ट द्वारा नियुक्त किये गये विशेष जांच दलों (एसआईटी), जिनके सदस्य स्वतंत्र

अधिकारी हैं, उनमें सुधार किया गया। अदालत के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र तंत्र द्वारा अभियोजक नियुक्त किये गये। मुकद्दमों की सुनवाई करने वाले जज उच्च न्यायालयों द्वारा मनोनीत किये गये। भारत में धार्मिक या जातीय आधारित किसी अन्य दंगे की तुलना में इसमें अधिक आरोप–पत्र दाखिल किये गये और अधिक व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया। इसे दिल्ली में 1984 में सिख–विरोधी दंगों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिनमें आरोप–पत्रों तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों की संख्या न के बराबर थी। यहां तक कि मारे गये सिखों का ब्यौरा देने वाले पीयूसीएल प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मीडिया को चुप करा दिया गया और न्यायिक रवैया भी निष्क्रिय हो गया था।

गुजरात के राजनीतिक नेतृत्व, विशेषरूप से मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को नेतृत्व की कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। क्या उन्हें गोधरा और उसके बाद के दंगों के एजेंडे को राज्य के वातावरण पर हावी होने देना चाहिए था? अनेक लोग उस एजेंडे को जारी रहते देखना चाहते थे। मुख्यमंत्री और सरकार ने एजेंडे को बदलने के लिए विभिन्न कठिनाइयों पर काबू पाया। इसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक लोगों की भलाई था। राज्य विपरीत हालात की परवाह किये बिना अभूतपूर्व विकास की ओर अग्रसर हुआ। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद दोहरे अंक में बढ़ा। राज्य ने भारत का विनिर्माण हब बनने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया। गुजरात में उपलब्ध विशाल हिन्टरलैंड की वजह से बंदरगाह

वर्ष 1984 में नई दिल्ली में सिख–विरोफ्री दंगों से तुलना करने पर पता चलेगा कि उस समय पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति भी नहीं मारा गया था। हजारों आरोप–पत्र दाखिल किये गये, अनेक लोगों को दोषी पाया गया, कुछ मुकद्दमे लंबित पड़े हैं। अनेक महत्वपूर्ण मामले न्यायिक निगरानी में चल रहे हैं। उनकी जांचों की ट्रास–चैकिंग की गई और कोर्ट द्वारा नियुक्त किये गये विशेष जांच दलों ञएसआईटीफ, जिनके सदस्य स्वतंत्र अफ्रिकारी हैं, उनमें सुफ्रार किया गया। अदालत के निर्देशानुसार एक स्वतंत्र तंत्र द्वारा अभियोजक नियुक्त किये गये। मुकद्दमों की सुनवाई करने वाले जज उच्च न्यायालयों द्वारा मनोनीत किये गये। भारत में फ्रार्मिक या जातीय आफ्रारित किसी अन्य दंगे की तुलना में इसमें अफ्रिक आरोप–पत्र दाखिल किये गये और अफ्रिक व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया। इसे दिल्ली में 1984 में सिख–विरोफ्री दंगों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिनमें आरोप–पत्रों तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों की संख्या न के बराबर थी। यहां तक कि मारे गये सिखों का ब्यौरा देने वाले पीयूसीएल प्रकाशन पर प्रतिबंफ्रा लगा दिया गया था। मीडिया को चुप करा दिया गया और न्यायिक रवैया भी निष्ट्रिय हो गया था।

आता। अतः उनके लिए गुजरात की दंगा–प्रभावित छवि को जीवित रखना जरूरी है। राजनीतिक रूप से उनका हौसला पस्त हो गया है। कांग्रेस चुनावों में नरेन्द्र मोदी को हरा नहीं सकती। अतः उनकी रणनीति है कि उनका मुकाबला करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग किया जाये। प्रारंभिक रणनीति मीडिया के उस वर्ग का इस्तेमाल करना था जो मोदी–विरोधी कहानियों पर खुश होता था। अफवाहें, झूठ और प्रोपेगेंडा सुविधाजनक तरीके थे। वर्षों तक हमें एक पीड़ित महिला की दर्दभरी कहानी सुनाई जाती थी, जो गर्भवती थी और उसके पेट को फाड़ दिया गया था। समूची कहानी गढ़ी गई थी और कोई तथ्य साबित नहीं किया जा सका। गुजरात पुलिस को दंगों के मामले में मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। एसआईटी की नियुक्ति के लिए अदालतों में याचिकाएं दाखिल की गईं। गुजरात पुलिस अधिकारियों की एसआईटी को उनके विरूद्ध कोई सबूत नहीं मिला। इसे एक दूसरी एसआईटी द्वारा बदला गया, जिसमें सीबीआई के पूर्व अधिकारी शामिल थे। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें मोदी के खिलाफ मुकद्दमा चलाने योग्य कोई साक्ष्य नहीं मिला। एक अन्य व्यवस्था की गई, जिसने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से हटकर काम किया। जांचकर्ता के निष्कर्षों की समीक्षा एक वकील–कोर्ट के मित्र द्वारा की जायगी। क्या परेशान किये जाने की प्रक्रिया तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कुछ व्यक्तियों

द्वारा राजनीति के अनुरूप तथ्य गढ़े न जा सकें ?

राज्य के गृहमंत्री, जिनके विरूद्ध पूर्व की दो जांचों में कोई सबूत नहीं मिले, के विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया गया और उन्हें मुठभेड़ के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आरोप–पत्र और उसके साथ संलग्न साक्ष्य का स्पष्ट विश्लेषण करने पर साक्ष्य के झूठ का पता चलता है। एक असंतुष्ट पुलिस अधिकारी के बारे में प्रचुर मात्रा में साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसमें उसे प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से इस बारे में बात करते हुए दिखाया गया है कि किस प्रकार से मोदी को फंसाया जाये। राज्य कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए अपनाई जाने वाली अपेक्षित प्रक्रिया के बारे में एक रूपरेखा भी भेजी थी।

गुजरात ने गत 10 वषो में अपने एजेंडे को बदला है, जिसे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और कुछ गैर–सरकारी संगठन, जो प्रमुख रूप से उसके लिए कार्य करते हैं, पसंद नहीं करते। बदला हुआ एजेंडा उनकी राजनीति को रास नहीं आता। अतः उनके लिए गुजरात की दंगा–प्रभावित छवि को जीवित रखना जरूरी है। राजनीतिक रूप से उनका हौसला पस्त हो गया है। कांग्रेस चुनावों में नरेन्द्र मोदी को हरा नहीं सकती। अतः उनकी रणनीति है कि उनका मुकाबला करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग किया जाये। प्रारंभिक रणनीति मीडिया के उस वर्ग का इस्तेमाल करना था जो मोदी–विरोफ्री कहानियों पर खुश होता था। अफवाहें, झूठ और प्रोपेगेंडा सुविफ्राजनक तरीके थे।

प्रत्येक मुठभेड़ नकली मुठभेड़ नहीं होती। भारत माओवादी हिंसा, सीमा–पार आतंकवाद और अनेक प्रकार के अन्य उपद्रवों का शिकार रहा है। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ इन उपद्रवियों के बीच प्रायः मुठभेड़ें होती रही हैं। गत एक दशक में राज्यवार मुठभेड़ों से पता चलेगा कि गुजरात में मुठभेड़ों की संख्या सबसे कम थी। प्रत्येक अन्य राज्य पर यह मानने के लिए विश्वास किया जाता है कि मुठभेड़ असली है या वह मुठभेड़ों की जांच करने के लिए अपना स्वयं का तंत्र नियुक्त कर सकता है। परन्तु गुजरात में मुठभेड़ों की जांच कराने का न्यायिक मानदंड अलग है। एक हैरानी भरे मामले में, जिसमें लश्कर की एक महिला कार्यकर्ता कुछ अन्य लोगों के साथ मारी गई थीं, केन्द्र सरकार ने मुठभेड़ को असली बताते हुए अपना शपथ–पत्र वापस ले लिया था। लश्करे तैयबा की वेबसाइट ने उसे अपना सदस्य माना था। एक कोर्ट ने अब एक एसआईटी नियुक्त की है, जिसमें मामले की जांच करने हेतु गैर–सरकारी संगठनों और केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक अधिकारी शामिल हैं। अभिप्रेरित जांचकर्ता कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। अन्य सभी राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति मंत्रिपरिषद् की सलाह पर की जाती है। परन्तु, गुजरात के मामले में राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सिफारिश की अनदेखी कर सकता है। एक कोर्ट ने इसे कानूनी तौर पर स्वीकार्य पाया है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित किये गये अनेक कानून राज्यपाल या केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हैं।

उन गैर–सरकारी संगठनों, जो गत 10 वर्षों से गुजरात के विरूद्ध सक्रिय रूप से अभियान चला रहे हैं; ने मिलकर उन लोगों की पैरवी की है, जिन्होंने साबरमती एक्सप्रेस को जलाया था, जिसके परिणास्वरूप 2002 की दुःखद घटना घटी थी। यूपीए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के मनपसंद सेवा–निवृत्त जज को जानबूझकर नियुक्त किया ताकि वह जांच में अपनी यह राय दे कि साबरमती एक्सप्रेस में आग अंदर से लगी थी।

गत एक दशक गुजरात राज्य के लिए एक चुनौतिपूर्ण दशक रहा है। वहां सामाजिक तनाव बना रहा। अब गुजरात एक दंगामुक्त राज्य है। उसने अपने पास्ट को पीछे छोड़ने का प्रयास किया है। यह आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है। गुजरात की त्रासदी यह है कि चूंकि मोदी के विरोधी राजनीतिक रूप से उन्हें नहीं हरा सकते, अतः वे गैर–सरकारी संगठनों और मीडिया के एक वर्ग का सहारा ले रहे हैं। आशा की जाती है कि न्यायपालिका इस राजनीतिक झंझट से दूर रहे और निष्पक्ष रहे।

दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए, परन्तु मीडिया ट्रायल्स और साक्ष्य गढ़ने के प्रयास खत्म होने चाहिए। सौहार्द और विकास सर्वोत्तम घाव–नाशक हैं। गुजरात का भावी नक्शा उन लोगों के बीच एक जंग होगी जो गुजरात को 2002 के टाइमफ्रेम में बंधा रहना देखना चाहते हैं और जो इस बात को मानते हैं कि यह शताब्दी गुजरात की होगी। गुजरात को अब इस नकारात्मक एनर्जी की चुनौती पर काबू पाना है।

¼y[kd Hkktik d ofj"B urk o jkT; lHkk e foi{k d urk g½ ■

कांग्रेस का सत्ता अहंकार

& cychj i|t

mत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा, 'केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल' का यह बयान क्या रेखांकित करता है? कांग्रेस केंद्रीय सत्ता में 40 वर्षों से अधिक समय तक काबिज रही है और खासकर सन 1947 से लेकर 1969 तक न केवल केंद्र में, बल्कि अधिकांश राज्यों में भी उसका ही अबाधित राज रहा है। इस लंबे राजपाट के कारण उसके अंदर स्वाभाविक तौर पर 'सत्ता का अहंकार' भी घर कर गया। इस अवधि में जहां कहीं भी गैरकांग्रेसी सरकारें आईं, कांग्रेस ने वैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग कर उन्हें चलता करने में देर नहीं लगाई। सत्ता की हनक में कांग्रेस वस्तुतः लोकतांत्रिक मूल्यों को तिलांजलि देती आई है। जायसवाल का बयान उसी सनक की पुष्टि करता है। इस मानसिकता के निर्माण में कांग्रेस की वंशवादी राजनीति का भी बड़ा योगदान है। विजय लक्ष्मी पंडित की पुत्री नयनतारा सहगल ने इंदिरा गांधी के ऊपर लिखी अपनी पुस्तक में इस विकृति का खुलासा करते हुए लिखा है, 'पंडित नेहरू के वंशज यह मानते हैं कि उनका जन्म राज करने के लिए हुआ है और कांग्रेस पार्टी उनकी खानदानी जागीर है।' इंदिरा गांधी के जमाने में तो यह अहंकार और परवान चढ़ा। चाटुकारों की मंडली ने तो तब 'इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा' का नारा ही गढ़ दिया था। यह अतिशयोक्ति नहीं कि सत्तासीन होने पर कांग्रेस निरंकुश हो जाती है और वह चाहती है कि पूरे देश में केवल उसकी ही राजनीतिक विचारधारा का वर्चस्व रहे।

इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उनके वामपंथी विश्वासपात्र मोहन कुमारमंगलम ने 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका', यानी ऐसी न्यायपालिका जो संविधान की बजाए सत्ताधारी दल अर्थात् कांग्रेस की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो, की वकालत की थी। इसी विचार के कारण तब सर्वोच्च न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरीयता की अनदेखी कर एक कनिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। आपातकाल के दौरान संजय गांधी की मंडली का प्रिय नारा 'एक राष्ट्र, एक पार्टी और एक नेता' था।

इंदिरा गांधी के पूरे कार्यकाल में राष्ट्रीयता का अर्थ नेहरू परिवार का यशोगान था। राष्ट्रभक्ति पंडित नेहरू से शुरू होकर गांधी परिवार में समाप्त होती थी। इंदिरा गांधी का विरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए देशद्रोही था। परिवारवाद की पूजा का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की नामावली में लालबहादुर शास्त्री का नाम विपक्षियों के एतराज के कारण राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में शामिल किया गया था। विभाजन के बाद दिल्ली में अधिकांश कॉलोनियों के नाम नेहरू परिवार के ऊपर यथा मोती नगर, कमला नगर, स्वरूप नगर, नेहरू नगर, नेहरू विहार, इंदिरा विहार आदि हैं। अब तो जीते जी दिल्ली में सोनिया विहार भी आबाद है। राजीव गांधी और उनके बाद अधिकांश सरकारी योजनाओं

> *उङ्गार श्देश में यदि कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो राष्टौपति शासन लागू होगा, 'केंॱीय कोयला मंत्री श्रीश्काश जायसवाल' का यह बयान क्या रेखांकित करता है? कांग्रेस केंॱीय सङ्गा में 40 वर्षों से अफ्रिक समय तक काबिज रही है और खासकर सन 1947 से लेकर 1969 तक न केवल कें• में, बल्कि अफ्रिकांश राज्यों में भी उसका ही अबाफ्रित राज रहा है। इस लंबे राजपाट के कारण उसके अंदर स्वाभाविक तौर पर 'सङ्गा का अहंकार' भी घर कर गया। इस अवफ्रि में जहां कहीं भी गैरकांग्रेसी सरकारें आईं, कांग्रेस ने वैफ्राानिक श्वफ्राानों का दुरुपयोग कर उन्हें चलता करने में देर नहीं लगाई। सङ्गा की हनक में कांग्रेस वस्तुतः लोकतांत्रिक मूल्यों को तिलांजलि देती आई है।*

का नाम नेहरू–इंदिरा–राजीव के नाम को समर्पित है।

सन 2004 में केंद्रीय सत्ता में कांग्रेस की वापसी होते ही 'सत्ता का अहंकार' प्रधानमंत्री पद की लोलुपता लिए लौटा। वर्तमान गांधी, सोनिया गांधी, ने विदेशी मूल की अड़चन पैदा होने पर 'सत्ता की कुंजी' हथियाने के लिए लोकतंत्र के साथ एक नया प्रयोग कर डाला। 2004 से देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री स्थापित है, जिसके पास पद तो है, किंतु शक्तियां कहीं और केंद्रित हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के पास मंत्रिमंडल का कोई भी विभाग नहीं है, किंतु पूरा मंत्रिमंडल उनकी परिक्रमा लगाता है। यह अहंकार युवराज राहुल गांधी के चुनावी भाषणों में भी झलकता है। केंद्र सरकार से राज्यों को भेजी जाने वाली केंद्रीय सहायता के लिए वह ऐसे जुमलों का प्रयोग करते हैं, मानो निजी मिल्कियत से खैरात दे रहे हों। यह अहंकार संप्रग सरकार की कार्यप्रणाली में चारों ओर परिलक्षित हो रहा है।

देश पिछले 42 सालों से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम करने के लिए लोकपाल कानून की प्रतीक्षा कर रहा है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में पूरा देश इसके लिए आंदोलित हुआ। सरकार ने पहले अन्ना का हश्र योगगुरु बाबा रामदेव की तरह करना चाहा था। काले धन की वापसी की मांग कर रहे बाबा रामदेव के आंदोलन का दमन पुलिसिया तंत्र के बूते किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को पिछले दिनों कड़ी फटकार भी लगाई है। अन्ना हजारे की गिरफ्तारी पर जब जनज्वार सड़कों पर उतरने लगा तो सरकार ने पैर पीछे खींच लिए। देश से एक सशक्त लोकायुक्त कानून बनाने का वादा किया गया, किंतु लोकायुक्त कानून को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाईं, वह सारा देश देख चुका है। युवराज राहुल गांधी का अहंकार जन अपेक्षाओं पर हावी रहा और विगत 29–30 दिसंबर की मध्य रात लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। पिछले दिनों के कुछ घटनाक्रम कांग्रेस के सत्ता दर्प के साथ भारत के जनसंघीय स्वरूप और लोकतांत्रिक निकायों के प्रति उसके नजरिए का खुलासा करते हैं। स्वच्छ और निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने के लिए संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग का प्रावधान रखा। चुनाव के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा सभी राजनीतिक दलों से की जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव में मुस्लिमों को कांग्रेस के पाले में करने के लिए जब केंद्रीय विधिमंत्री सलमान खुर्शीद ने मजहबी आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की तो आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा, किंतु खुर्शीद सत्ता के मद में थे। पहले तो उन्होंने आयोग को चुनाव के बेसिक फंडे की जानकारी नहीं होने की बात की, फिर आयोग से नसीहत मिलने के बावजूद सत्ता के मद में यहां तक कह डाला कि आयोग चाहे तो फांसी दे दे, किंतु आरक्षण दिलाकर रहेंगे। इसके बाद एक अन्य केंद्रीय मंत्री ने आयोग पर हमला बोला। युवराज को आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस क्या मिला, कांग्रेस ने आचार संहिता का मामला ही आयोग से छीनकर न्यायालय के अधीन करने की तैयारी कर डाली। फिलहाल इस पर विराम लग गया है, किंतु वंशवादी कांग्रेस की राजवंशी मानसिकता पर कोई लगाम नहीं है।

उत्तार श्देश चुनाव में मुस्लिमों को कांग्रेस के पाले में करने के लिए जब केंनीय विफ्रिमंत्री सलमान खुर्शीद ने मजहबी आफ्रार पर आरक्षण देने की घोषणा की तो आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ा, किंतु खुर्शीद सत्ताा के मद में थे। पहले तो उन्होंने आयोग को चुनाव के बेसिक फंडे की जानकारी नहीं होने की बात की, फिर आयोग से नसीहत मिलने के बावजूद सत्ताा के मद में यहां तक कह डाला कि आयोग चाहे तो फांसी दे दे, किंतु आरक्षण दिलाकर रहेंगे। युवराज को आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस क्या मिला, कांग्रेस ने आचार संहिता का मामला ही आयोग से छीनकर न्यायालय के अफ्रीन करने की तैयारी कर डाली।

गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों से केंद्र सरकार का टकराव इसी मानसिकता का द्योतक है। खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश, लोकायुक्त कानून और अब एनसीटीसी के मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करने पर आमादा है। अब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) को पूरे देश में तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का अधिकार देने की तैयारी में है। भारत के संविधान ने केंद्र व राज्यों के अधिकारों की एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींच रखी है। उस लक्ष्मण रेखा को जानबूझ कर बार–बार लांघने की मानसिकता वस्तुतः कांग्रेस और नेहरू–गांधी परिवार की अहंकारी प्रवृत्ति के कारण ही है। ■ ¼n- tkxj.k½

¼y[kd jkT;lHkk lnL; g½

समन्वय से बढ़ेगी सुरक्षा

& v'kkd ViMu

jkष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र के गठन का ग्यारह राज्य विरोध कर रहे हैं। इनकी सरकारों का मानना है कि संविधान में कानून–व्यवस्था तथा पुलिस को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। आतंकवाद से पार पाने के लिए यदि केन्द्र सरकार कोई राष्ट्रव्यापी कारगर व्यवस्था करना चाहती है, तो उसे राज्य सरकारों से इस विषय में पहले बातचीत करनी चाहिए थी। उन्हें विश्वास में लिए बिना गृह मंत्रालय द्वारा एनसीटीसी का प्रस्ताव संविधान द्वारा स्थापित संघीय ढांचे को कमजोर करने का प्रयास तथा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप माना जा रहा है।

मूलतः इसी आधार पर ओडिसा, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा मध्यप्रदेश जैसे राज्यों की सरकारों ने केन्द्र की आईबी के तहत एनसीटीसी के गठन का विरोध किया है और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें और इस सम्बंध में राज्य सरकारों से विचार–विमर्श पूरा होने तक इस प्रस्तावित केन्द्र को अमल में न लाएं। वैसे मामला देश की सुरक्षा के लिए आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ने का है, इसलिए केन्द्र की नीयत पर शक करने की गुंजाइश कम है, लेकिन केन्द्र का यह कदम संघीय ढांचे की भावना के विपरीत अवश्य प्रतीत होता है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर स्थिति को बिगड़ने से बचाने का प्रयास किया है और गृहमंत्री को राज्यों से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने इस प्रक्रिया के पूरा होने तक इस फैसले को स्थगित किए जाने के संकेत भी दिए हैं।

मुझे लगता है, केन्द्र सरकार को सबसे पहले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रस्ताव को रखना चाहिए था, क्योंकि विभिन्न राज्यों में अलग–अलग दलों की सरकारें हैं, इसलिए इस मुद्दे पर सर्वानुमति बनाना आवश्यक था। ऐसा प्रतीत होता है कि गृह मंत्रालय ने इस विषय में कुछ जल्दबाजी दिखाई है। पी. चिदम्बरम एक अनुभवी गृहमंत्री हैं, उन्हें यह समझना चाहिए था कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। उन्होंने गैर–कांग्रेसी राज्यों को केन्द्र के विरूद्ध एकजुट होने का मौका दे दिया है। वह इसे आतंकवाद के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इस सम्बंध में वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की चुप्पी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदरूनी समीकरणों की ओर भी इशारा करती है। राज्यों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार आतंकवाद, नक्सलवाद या साम्प्रदायिक उपद्रवों या प्राकृतिक आपदाओं के समय भी तो राज्य सरकारें केन्द्र से सुरक्षा बलों की मांग करती हैं, तो फिर एनसीटीसी के गठन का विरोध क्यों?

लेकिन यहां प्रश्न केवल ऐसी परिस्थितियों से जूझने के लिए सहयोग का नहीं है, बल्कि राज्यों को विश्वास में लेने का है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में एकतरफा रूख अपनाया है, उससे केन्द्र की मंशा शक के घेरे में आ गई है। कहीं न कहीं यह कदम राज्यों की पुलिस तथा खुफिया सूचना तंत्र की क्षमता एवं विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं कि इंटेलीजेंस ब्यूरो के सूचना तंत्र को तलाशी एवं गिरफ्तारी आदि के अधिकार देकर केन्द्र सरकार विभिन्न

अपनी गलतियों के कारण इस मुद्दे पर केन्द्र यदि पीछे हटता है, तो गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के हौसले और बढ़ेंगे और वे हर मुद्दे पर लामबंद हो केन्द्र सरकार की छवि कमजोर करने का श्यास करेंगे। केन्द्र एक–एक करके गैर–कांग्रेसी राज्य सरकारों से निबट सकता है, लेकिन यदि बड़े राज्यों के गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री एकजुट हो जाएं, तो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, जिसका खमियाजा यूपीए को 2014 के लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। यूपीए कमजोर पड़ सकता है, शायद टूट भी सकता है और नए समीकरण भी बन सकते हैं।

क्षेत्रों में निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आश्वस्त करना चाहती है कि राज्यों में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, उन्हें निवेश की अनुमति देने वाली केन्द्र सरकार उनके हितों की सुरक्षा करने में सक्षम है।

चाहे फिर परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र हो या अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के खुलने वाले कैम्पस हों या फिर राज्यों की राजधानियों में प्रभावशाली देशों के वाणिज्य दूतावास हों। मुझे लगता है कि राज्यों ने अपना विरोध दर्ज करा दिया है, यदि केन्द्र राज्यों से बातचीत कर कोई रास्ता निकालने का प्रयास करता है, तो उन्हें सहयोग करना चाहिए। राज्यों को विश्वास में न लेकर केन्द्र ने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने जैसा काम किया है।

इस मामले में गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों द्वारा एकजुट होकर केन्द्र सरकार को चुनौती देना सही नहीं है। यूपीए सरकार वैसे भी कमजोर है, सहयोगी दलों पर निर्भर है। ममता बनर्जी जैसे घटक हर बात पर आंखें दिखाकर केन्द्र से अपनी बातें मनवा रहे हैं। अपनी गलतियों के कारण इस मुद्दे पर केन्द्र यदि पीछे हटता है, तो गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के हौसले और बढ़ेंगे और वे हर मुद्दे पर लामबंद हो केन्द्र सरकार की छवि कमजोर करने का प्रयास करेंगे। केन्द्र एक–एक करके गैर–कांग्रेसी राज्य सरकारों से निबट सकता है, लेकिन यदि बड़े राज्यों के गैर–कांग्रेसी मुख्यमंत्री एकजुट हो जाएं, तो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, जिसका खमियाजा यूपीए को 2014 के लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। यूपीए कमजोर पड़ सकता है, शायद टूट भी सकता है और नए समीकरण भी बन सकते हैं। ■ ¼jk- if=dk½

¼jktuhfrd fo'ys"kd] çèkkue=h ds iwoZ çsl lykgdkj½

राजस्थान

एनआरएचएम घोटाला अब 'कैग' के दरबार में

jkजस्थान विधानसभा में एनआरएचएम घोटाले की गूंज सुनाई देने के बाद अब यह मुद्दा कैग के पास पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम एवं वायलार रवि के बेटों से जुड़ी कंपनी को प्रदेश में एंबुलेंस के संचालन का ठेका दिए जाने को भाजपा ने यूपी के एनआरएचएम के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्वास्थ्य घोटाला करार दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान के सहप्रभारी श्री किरीट सोमैया ने 3 मार्च को घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट कैग को सौंपी। श्री सोमैया ने कैग से जिकित्सा हैल्थकेयर लि कंपनी को तत्काल ब्लैक लिस्ट करने की मांग करते हुए कंपनी की आडिट करने की सिफारिश की। कैग को बताया गया कि कांग्रेस के लोगों ने ठेका देने के लिए कई राज्यों में यूपी की तर्ज पर एनआरएचएम घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें राजस्थान का एनआरएचएम घोटाला भी शामिल है।

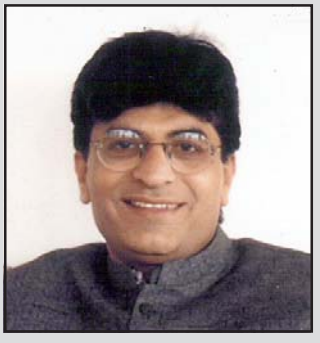

प्रदेश में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए भाजपा अब एनआरएचएम घोटाले को राजनैतिक रूप देने में जुट गई है। इधर, राजस्थान भाजपा ने घोटाले के दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के बाद धरना–प्रदर्शन के जरिए दोनों केंद्रीय नेताओं के बेटों को ठेका दिए जाने के मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है।

एनआरएचएम घोटाले को राजनैतिक रूप देने के लिए ही भाजपा कैग के दरबार तक पहुंच गई, ताकि गहलोत सरकार पर दबाव बनाया जा सके। पूरे आंदोलन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष श्री अरूण चतुर्वेदी कर रहे है। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि कैग के समक्ष मुद्दे को उठाते हुए कहा गया कि चिदंबरम एवं वायलार के बेटों को ठेका देने के लिए पहले तो 108 एंबुलेंस सेवा की मनमाने ढंग से पुरानी कंपनी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया, फिर 2011 में गलत तरीके से जिकित्सा कंपनी को बिलों का भुगतान किया गया।

कैग को बताया कि कंपनी को 55,326 एंबुलेंस फेरे का भुगतान किया गया है, जबकि दैनिक एवं मासिक रिपोर्ट के आधार पर जो गणना की गई है, उसके अनुसार कंपनी के एंबुलेंस ने 37,458 फेरे ही किए थे। उन्होंने कैग को बताया कि कंपनी ने एक ही फेरे को दो बार दिखा कर फेरे की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। यही नहीं कंपनी ने लगभग पचास एंबुलेंसों को खराब हालात में दिखाया है। श्री चतुर्वेदी का कहना है कि कैग से मांग की गई है कि फर्जी बिलों के भुगतान को देखते हुए वह तत्काल कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर उसकी आडिट करवाए, जिससे राजस्थान के एनआरएचएम घोटाले का पर्दाफाश हो सके। ■

हिमाचल प्रदेश

संगठन सर्वोपरि : धूमल

fg माचल प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती के पद ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कुछ लोग संगठन के माध्यम से सत्ता में आते हैं और सत्ता का सुख भोगने पर संगठन की राह में राड़े अटकाते हैं। ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं है। गत 1 मार्च को शिमला में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने श्री सत्ती को अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह चुनावी वर्ष है और भाजपा को फिर से सत्ता वापसी करनी है, जिसके लिए सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सत्ता का रास्ता संगठन से होकर जाता है। इसलिए संगठन व सत्ता के बीच बेहतर तालमेल से ही भाजपा 'मिशन रिपीट' हासिल कर सकती है। पार्टी कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए सरकार केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री जगत प्रकाश नड्डा ने श्री सतपाल सत्ती को अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपने पर आशा व्यक्त की कि भाजपा प्रदेश में फिर से सत्ता वापसी करेगी। पार्टी के भीतर सभी कार्यकर्ताओं का एकजुट होकर काम करने का आह्वान करते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए सत्ती के साथ मिलकर 'मिशन रिपीट' को पूरा करना है। पार्टी में अनुशासन भंग करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री सत्ती में सभी को एक साथ लेकर चलाने की क्षमता है।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश प्रभारी श्री श्याम जाजू ने कहा कि सत्ती प्रदेश के युवा नेता हैं और पार्टी के कर्मठ व जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें आम व साधारण कार्यकर्ता को पूरा सम्मान दिया जाता है, जबकि कांग्रेस परिवारवाद के ढर्रे पर चल रही है। ■

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा-

जोड़ो देश की नदियां

Hkk जपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत देश की नदियों को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी विकास परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाकर केन्द्र की वर्तमान संप्रग सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। गौरतलब है कि संप्रग सरकार ने इस परियोजना को दुर्भावनापूर्ण तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

गत 27 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को लंबे समय से लटकी पड़ी नदी जोड़ो परियोजना लागू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने परियोजना क्रियान्वयन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया न्यायमूर्ति एके पटनायक एवं न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए सरकार को समयबद्ध तरीके से परियोजना लागू करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि यह कोर्ट के लिए संभव नहीं है कि वह परियोजना की संभावनाओं एवं अन्य तकनीकी पहलुओं पर निर्णय कर पाए।

यह काम विशेषज्ञों का है। परियोजना के गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में जल संसाधन मंत्री, जलसंसाधन सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव के अलावा चार विशेषज्ञ होंगे। चार विशेषज्ञों में जल संसाधन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा योजना आयोग एक–एक विशेषज्ञ नामित करेगा। समिति में राज्य सरकार की जल एवं सिंचाई विभाग का भी एक प्रतिनिधि होगा और दो सामाजिक कार्यकर्ता तथा एक न्यायालय के मददगार वकील रंजीत कुमार सदस्य होंगे। समिति परियोजना के क्रियान्वयन की संभावनाओं पर विचार करेगी और उसे लागू करेगी। यह समिति कम से कम दो माह में एक बैठक जरूर करेगी। किसी सदस्य के अनुपस्थिति रहने पर बैठक निरस्त नहीं होगी।

बैठक के मिनट रिकॉर्ड किए जाएंगे। समिति साल में दो बार कैबिनेट को रिपोर्ट सौंपेगी और कैबिनेट उस रिपोर्ट पर जल्द से जल्द निर्णय लेगी। अधिकतम 30 दिनों में निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने कहा है कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट एवं मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज तथा रिपोर्ट समिति के सामने विचार के लिए पेश की जाएगी। टास्क फोर्स अब काम नहीं कर रही है इसलिए समिति टास्क फोर्स की सिफारिशें लागू करने पर भी विचार करेगी।

कुछ राज्यों ने परियोजना पर काफी काम कर लिया है जिसमें केन–बेतवा परियोजना भी शामिल है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा केंद्र सरकार को भी इसे लागू करने का निर्देश दिया है।■

नदियों को जोड़ने की चुनौती

& cãk pìykuh

jkष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना 37 हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना है। कभी राहुल गांधी ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके समयबद्ध क्रियान्वयन का आदेश जारी किया है। सवाल यह है कि क्या यह संभव होगा? नर्मदा परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के आलोक में इस मामले में उम्मीद बंधती है। भारत में सरकार विशाल जल परियोजनाएं तो लाती है, किंतु विस्थापितों की पुनर्स्थापना और प्रभावशाली नागरिक समाज समूहों के कड़े विरोध से आंखें मूंद लेती है। विदेशी पूंजी पर चलने वाले एनजीओ स्थानीय निवासियों के विस्थापन के मुद्दे को जोर–शोर से उठाते हैं। इस प्रकार के संगठन अनेक जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध में अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं।

औद्योगिकीकरण की मांग स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव डाल रही है। ऐसे में एनजीओ और नागरिक समूहों ने ऐसे उद्योगों का विरोध तेज कर दिया है जिनमें पानी की अधिक मात्रा में खपत होती है। भारत की लौह अयस्क पट्टी में लग्जमबर्ग के आर्सेलर मित्तल और दक्षिण कोरिया के पोस्को समूह की परियोजनाओं के जबरदस्त विरोध के कारण इन परियोजनाओं में देरी इसका ताजा उदाहरण है। बांध विरोधी मेधा पाटकर और अरुंधति रॉय को अनेक परियोजनाओं के विरोध में जोरदार समर्थन मिला है। जनता के दबाव में आकर 2010 में सरकार ने भागीरथी नदी पर तीन निर्माणाधीन परियोजनाओं पर काम रोक दिया था। इस कारण करोड़ों रुपये पानी में डूब गए थे। इस पृष्ठभूमि में वाजपेयी सरकार के नदियों को जोड़ने के कदम की असाधारण प्रकृति का पता चलता है। यह एक स्वप्निल योजना है। 12,500 नहरों के माध्यम से 178 अरब घनमीटर की विशाल जलधाराओं से साढ़े तीन करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने और 34 मेगावाट पनबिजली के उत्पादन का लक्ष्य है। यह ऐसी योजना है जो चीन जैसा अधिसत्तात्मक देश ही शुरू और क्रियान्वित कर सकता है। इसलिए इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं है कि भारत का नदी जोड़ो कार्यक्रम कई साल तक योजना के स्तर पर ही अटका रहा।

राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को 'विनाशकारी विचार' कहकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह योजना देश के पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। भारत की सत्ताधारी पार्टी के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के इस बयान से प्रभावित होकर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इसे मानव, आर्थिक और पारिस्थितिक विनाश बताया था। बाद में राहुल गांधी ने इस परियोजना के छोटे से भाग केन और बेतवा नदी को जोड़कर सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की थी। केन और बेतवा को 231 किलोमीटर लंबी नहर के माध्यम से जोड़ने की योजना पर्यावरण को नुकसान की आशंका के कारण खटाई में पड़ गई। असलियत यह है कि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की योजना शुरू करने के लिए सरकार

कभी राहुल गांधी ने इसकी खिल्ली उड़ाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके समयबद्ध क्रियान्वयन का आदेश जारी किया है। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को 'विनाशकारी विचार' कहकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह योजना देश के पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। भारत की सत्ताधारी पार्टी के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के इस बयान से प्रभावित होकर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इसे मानव, आर्थिक और पारिस्थितिक विनाश बताया था।

को प्रोत्साहित किया था। यह भी सच है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद यह योजना दलगत राजनीति की भेंट चढ़ गई और नई सरकार को पुरानी सरकार के फैसले में खोट दिखाई देने लगा। 2009 में संप्रग सरकार ने संसद को बताया था कि नदी जोड़ने की इस परियोजना में भारी खर्च होगा और सरकार के पास इस मद के लिए इतनी राशि नहीं है।

कें• में सद्दा परिवर्तन होने के बाद यह योजना दलगत राजनीति की भेंट चढ़ गई और नई सरकार को पुरानी सरकार के फैसले में खोट दिखाई देने लगा। 2009 में संश्ग सरकार ने संसद को बताया था कि नदी जोड़ने की इस परियोजना में भारी खर्च होगा और सरकार के पास इस मद के लिए इतनी राशि नहीं है। सरकार ने इस बात पर गौर नहीं किया कि नदियों को आपस में जोड़ने से भारत का खाद्यान्न उत्पादन दोगुना बढ़कर 45 करोड़ टन वार्षिक हो जाएगा और बढ़ती आबादी और संपन्नता के कारण खाद्यान्न की बढ़ती मांग की आसानी से पूर्ति हो जाएगी।

सरकार ने इस बात पर गौर नहीं किया कि नदियों को आपस में जोड़ने से भारत का खाद्यान्न उत्पादन दोगुना बढ़कर 45 करोड़ टन वार्षिक हो जाएगा और बढ़ती आबादी और संपन्नता के कारण खाद्यान्न की बढ़ती मांग की आसानी से पूर्ति हो जाएगी।

यह भी काबिलेगौर है कि मानसून के मौसम में गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना नदियों के बेसिन में बाढ़ आ जाती है, जबकि पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय बेसिनों में पानी की कमी हो जाती है। इन तमाम बेसिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने, बाढ़ से बचने और खाद्यान्न बढ़ाने के लिए इंडियन वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने अंतर बेसिन जल स्थानांतरण आइबीडब्ल्यूटी, को ही एकमात्र उपाय बताया था। नई कृषि प्रौद्योगिकी और नए प्रकार के बीज मिलने के बाद भी 45 करोड़ टन वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए सरकार को सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना होगा। अन्यथा, खाद्यान्न आयात पर बढ़ती निर्भरता से पीछा नहीं छूटेगा।

यह सत्य है कि विश्व के अनेक भागों में अंतर बेसिन जल स्थानांतरण सफलता के साथ क्रियान्वित हो रहा है। चीन की दक्षिण–उत्तर जल परियोजना विश्व की सबसे विशाल अंतर बेसिन जल स्थानांतरण पहल है, किंतु भारत चीन नहीं है, जहां लोकतंत्र का अभाव बड़े परिवर्तनों के लिए लाभ की स्थिति है।

भारत ने बार–बार दर्शाया है कि उसमें दीर्घकालिक सामरिक योजनाएं बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की क्षमता नहीं है। जब भारत को नर्मदा नदी परियोजना को पूरा करने में ही दशकों का समय लग गया तो यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह नदी जोड़ो जैसी विशाल परियोजना क्रियान्वित कर सकता है? नदी जोड़ो योजना का बांग्लादेश पर प्रभाव पड़ना तय है। वह इस परियोजना को लेकर पहले ही चिंतित है। सीधा सा तथ्य यह है कि एनजीओ द्वारा संगठित विरोध के कारण परियोजनाओं को रोकना पड़ रहा है। ऐसा अनेक पनबिजली परियोजनाओं के साथ हो चुका है। इस कारण निजी–सार्वजनिक निवेश को लेकर उत्साह नहीं है। परिणामस्वरूप, पनबिजली का आकर्षण खत्म होता जा रहा है, जबकि देश के हिमालयी भाग में विपुल पनबिजली उत्पादन की गुंजाइश है।

भारत के कुल विद्युत उत्पादन में पनबिजली की हिस्सेदारी 1962–63 में 50 फीसदी से घटकर 2009–10 में 23 प्रतिशत रह गई है। पनबिजली के उत्पादन को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद विरोध प्रदर्शन, पर्यावरण चिंताओं, भूमि अधिग्रहण पर अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और राज्य सरकारों द्वारा पेशगी प्रीमियम राशि की मांग पर मामला फंस जाता है। नर्मदा पर बिजलीघर बनाने की योजना आजादी के तुरंत बाद बन गई थी, किंतु यह अब तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हो सकी है, जबकि चीन ने 18,300 मेगावाट की क्षमता वाला थ्री जॉर्ज बांध निर्धारित समय से पहले ही बना दिया। यह परियोजना नर्मदा परियोजना से साढ़े बारह गुनी बड़ी है। नर्मदा बांध में लालफीताशाही, कानूनी अड़चन और राजनीतिक व एनजीओ कार्यकर्ताओं द्वारा बाधाएं खड़ी करने से यह साबित हो जाता है कि कोई भी बड़ी परियोजना शुरू करना बेहद मुश्किल काम है। जिस प्रकार भारत के पास कोई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नहीं है उसी प्रकार इसके पास कोई राष्ट्रीय जल सुरक्षा नीति भी नहीं है।

¼y[kd lkefjd ekeyk d fo'k"kK g½

¼nfud tkxj.k l lkHkkj½■

रामलीला मैदान ऐतिहासिक कार्यकर्ता महाकुंभ में निगम चुनावों की रणभेरी बजी

जो दिल्ली विजय करता है, वही देश जीतता है : आडवाणी

Hkkजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में संपन्न जनसंघर्ष यात्रा की समाप्ति के बाद आयोजित विजय संकल्प दिवस के कार्यकर्ता महाकुंभ में जुटे कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर गदगद पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भावविभोर होकर कहा कि भारत का इतिहास गवाह है कि जो दिल्ली विजय करता है, वही देश जीतता है। दिल्ली में जीत का वातावरण भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अतिलोकप्रिय जनसंघर्ष यात्रा ने तैयार कर दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली और देश में महंगाई, भ्रष्टाचार आदि कुकर्मों से हमारा विजय मार्ग तैयार कर दिया है। आज के इस कार्यकर्ता महाकुंभ दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विधानसभा तथा लोकसभा चुनावों की भाजपा विजय यात्रा का शंखनाद कर दिया है। जरूरत बस इतनी है कि हमारे जुझारू कार्यकर्त्ता एकता, अनुशासन का पालन करते हुये बूथ स्तर तक के अचूक चुनाव प्रबंधन में आज से ही जुट जायें। विजय देवी हमारा माथा गर्व से ऊंचा कर देगी। कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता श्री विजेन्द्र गुप्ता ने की।

उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष तथा टीम की संगठन प्रबंधन क्षमता तथा जुझारूपन की तारीफ करते हुये कहा कि वे 1957 से दिल्ली में हैं लेकिन आज जैसा सफल कार्यकर्ता महासम्मेलन दिल्ली में पहले कभी नहीं हुआ। इस सम्मेलन को महाकुंभ कहना सर्वोपयुक्त है। कांग्रेस सरकार ने आज देश के हर आम आदमी को परेशान कर रखा है। संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अवमूल्यन करके कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। सत्ता में बैठे लोग पद के नशे और आकंठ भ्रष्टाचार में ठूबे हुये हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित हर कोई भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटा हुआ है। दिल्ली तथा देश की जनता कांग्रेस शासन से छुटकारा चाहती है। जीत का इतना बढ़िया वातावरण पहले कभी नहीं बना।

भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित जनसंघर्ष यात्रा के समापन कार्यक्रम के दौरान भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता।

नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री अरूण जेटली ने कहा कि दिल्ली का चुनाव परिणाम देश को दिशा देगा। पूरा समाज आज कांग्रेस से विद्रोह और विरोध की स्थिति में है। कांग्रेस सरकार नेतृत्वविहीन, अर्थव्यवस्थाविहीन, साख और इकबालविहीन, निर्णयविहीन होकर अकूत भ्रष्टाचार में लिप्त है। देश आठ साल से सत्तारत संप्रग सरकार की जनविरोधी, महंगाई बढ़ाने

वाली लूटखोर नीतियों से तंग है। लोग कांग्रेस राज्य से छुटकारा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंघर्ष यात्रा तथा कार्यकर्ता महाकुंभ ने आगामी चुनावों का एजेडा तय कर दिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने सफल जनसंघर्ष यात्रा तथा आज के कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष तथा उनकी टीम को साधुवाद देते हुये कहा कि हवायें भाजपा की जीत का इशारा कर रही हैं। इन हवाओं को मतपेटी में बंद कराना भाजपा के जुझारू और समर्पित कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। बस हमारा चुनाव प्रबंधन शानदार होना चाहिए।

दिल्ली प्रदेश के प्रभारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटे 60,000 कार्यकर्ताओं को खड़ा करवाकर एक हाथ में भाजपा का ध्वज तथा दूसरा हाथ सामने करके शपथ दिलवाई कि "हम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के समस्त कार्यकर्ता एवं नेतागण यह संकल्प लेते हैं कि, हम निरंतर एकजुट होकर, दृढ़ता के साथ भ्रष्ट और जनविरोधी कांग्रेसी सरकारों को दिल्ली और केन्द्र से हटाने के लिये कार्य करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता तब तक आराम से नहीं बैठेंगे, जब तक कि दिल्ली और देश में सुशासन, विकास और सुरक्षा का परचम पुनः नहीं लहराते। हम समाज के सभी वर्गों की, समर्पण भाव से, सेवा करेंगे, अपनी पार्टी की गौरवशाली और विशिष्ट परंपराओं के अनुसार हम अपने अनुशासित व्यवहार से भाजपा की विचारधारा तथा आदर्शों को सुदृढ़ करेंगे। भारत माता की जय।"

आज के महाकुंभ के अध्यक्षीय भाषण में प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी 14 दिवसीय जनसंघर्ष यात्रा के भावपूर्ण पलों का जिक्र करते हुये कहा कि भाजपा मिशन के लिए कार्य करती है और कांग्रेस कमीशन के लिए मरती है।

भारत का इतिहास गवाह है कि जो दिल्ली विजय करता है, वही देश जीतता है। दिल्ली में जीत का वातावरण भाजपा श्देश अफ्रयक्ष की अतिलोकश्यि जनसंघर्ष यात्रा ने तैयार कर दिया है। कांग्रेस ने दिल्ली और देश में महंगाई, भ्रष्टाचार आदि कुकमो से हमारा विजय मार्ग तैयार कर दिया है।

उन्होंने कहा कि जिसे जनता नेता कहती है वही सच्चा नेता होता है। किसी नेता की परिक्रमा करने वाला कार्यकर्ता कभी भी नेता नहीं बनता। भाजपा का लक्ष्य है देश को परम वैभव तक ले जाना। यही सच्चे कार्यकर्ता का लक्ष्य होना चाहिए।

कार्यकर्ता महाकुंभ को महामंत्री संगठन श्री रामलाल ने सम्बोधित करते हुये कहा कि भाजपा और कांग्रेस की प्रकृति और संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, शेष पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की तरह व्यवहार कर रही हैं। उन्होंने बूथ स्तर तक के आये कार्यकर्ताओं से नारा लगवाया – मुम्बई निगम जीता है, अब दिल्ली की बारी है। पथ के कंटकों को जो सुमन समझे वही असली भाजपा कार्यकर्ता है। उन्होंने जीत का मूल मंत्र बताया – बूथ जीता, चुनाव जीता। कहा कि जीत के लिए जरूरी है–वोट बढ़ाना, वोट डलवाना और जनता से निरंतर संपर्क बनाये रखना। भाजपा में व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन महत्वपूर्ण है। जिस कार्यकर्ता के हाथ में कमल निशान हो बस उसी को जिताना है। आज के कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री श्री रमेश बिधूड़ी ने किया।

आज के कार्यकर्ता सम्मेलन को प्रदेश के सह संयोजक श्री रामेश्वर चौरसिया, प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा, श्री विजय गोयल आदि बड़े नेताओं ने भी सम्बोधित किया। मंच पर सर्वश्री केदारनाथ साहनी, प्रो. ओम प्रकाश कोहली, डॉ. हर्ष वर्धन, मांगे राम गर्ग, प्रो. रजनी अब्बी, योगेन्द्र चांदोलिया, आरती मेहरा, वाणी त्रिपाठी, महामंत्री संगठन विजय शर्मा, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मीनाक्षी लेखी आदि नेतागण उपस्थित थे। अनुशासित ढंग से रामलीला मैदान के कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश के सभी 14 जिलों के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता अलग अलग जिलों के लिए बनाये गये पंक्तिबद्ध होकर अनुशासित ढंग से बैठकर हाथों में भाजपा का ध्वज लहराते हुये बड़े नेताओं के उत्साहवर्धक भाषणों पर गगनभेदी तालियां बजाकर वातावरण को जीतमय बना रहे थे। सम्मेलन में मौजूद जिला अध्यक्ष थे– सर्वश्री पंकज जैन, राजेश भाटिया, रेखा गुप्ता, संसार सिंह, कैलाश जैन, राम चरण गुजराती, निर्मल जैन, छोटे राम, जय प्रकाश (जे. पी), मनोज शर्मा, राजीव बब्बर, सुमन प्रकाश शर्मा, चौ. महक सिंह, रमेश चौहान। कार्यक्रम की शुरूआत श्री आडवाणी द्वारा भाजपा के ध्वजारोहण, वंदेमातरम् गायन तथा डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई। ■

म.प्र. : मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के 53वें जन्मदिन पर भव्य अभिनंदन समारोह संपन्न

`कर्मठता और सेवाभावी विचार का सम्मान'

Hkkरतीय जनता पार्टी के लाड़ली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना और कन्यादान योजना प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में सुराज भवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में सादगी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के 53 वें जन्मदिन पर उनका अभिनंदन किया गया। प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक सीमा सिंह, क्रांति जोशी और शिवा मिश्रा ने मुख्यमंत्री को अभिनंदन–पत्र भेंट किया। इस अवसर पर पूर्व सरसंघचालक सुदर्शन जी ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देते हुए दीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना की। प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मार्मिक ढंग से अभिनंदन करते हुए कहा कि यह अभिनंदन कर्मठता, सेवाव्रत और समाज तथा प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने वालें गतिशील समृद्ध विचारों का अभिनंदन है। शिवराज सिंह चौहान पिछले वर्षों में अपनी गतिशीलता और क्रांतिकारिता के बल पर प्रगति के ध्वजवाहक सिद्ध हुए है। उन्होंने मध्यप्रदेश को विपुलता की दिशा में बढ़ने का संबल दिया है। गरीबों, किसानों, मजदूरो और माताओं बहनों, युवा वर्ग की प्रगति का मार्ग शिवराज सिंह चौहान ने प्रशस्त किया है। जन्मदिन पर यह अभिनंदन समारोह गरीबों, किसानों, मजदूरों और माता–बहनों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रकोष्ठों ने सम्मान करके सेवा को गौरवान्वित किया है। पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रभात झा, अरविन्द मेनन, माया सिंह, ऊषा चतुर्वेदी, नंदकुमार सिंह चौहान, रंजना बघेल, कृष्णा गौर, राजो मालवीय, सरिता देशपांडे, आलोक शर्मा, गौरीशंकर कौशल ने दीप प्रज्जवलित किया और भारत माता के चित्र पर पुष्पाजंलि अर्पित की। स्वस्तिवाचन के साथ समारोह आंरभ हुआ। शिवराजसिंह चौहान को अभिनंदन–पत्र भेंट करते हुए प्रकोष्ठों ने उनकी क्रांतिकारिता को बेजोड़ बताया और कहा कि उनकी उपलब्धियां प्रदेश में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में धरातल पर दृष्टिगोचर हो रही है, और जनता सकून का अनुभव करती है। शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान और श्री चौहान ने कन्यापूजन किया हिन्दु, मुसलमान, सिख एवं इसाई सभी वर्गो की ओर से चौहान दंपती का अभिनंदन किया गया, और उनके उज्ज्वल भविष्य की नंदकुमार सिंह चौहान ने भी शिवराज सिंह चौहान को शॉल और श्रीफल देकर अभिनंदन किया।

प्रभात झा ने अभिनंदन समारोह के अवसर पर अपने संक्षिप्त भाषण में कहा कि लोगों में गलत धारणा है कि राजनीति में पद के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता है। भाजपा के लाड़ली लक्ष्मी, जननी सुरक्षा और कन्यादान योजना प्रकोष्ठों ने मुख्यमंत्री की उपलब्धियों का श्रेय उन्हें अर्पित करते हुए यह आयोजन करके बता दिया है कि सेवा के लिए पद और सत्ता की आवश्यकता नहीं है।

जहां चाह है वहां राह है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश में जनमानस पर अपनी विनम्र सेवाओं, सरलता सादगी और ममता की ऐसी छाप छोड़ी है कि शहरों में मेहनतकश मजदूर से लेकर युवा, महिला पुरूष और गांवों में बड़े–बूढ़े, नर–नारी, आबाल, वृद्ध सभी शिवराजसिंह चौहान को अपने परिवार के सदस्य की तरह से ममता से देखते है यह समाजिक परिवर्तन का संकेत है। यह रागात्मक संबंध है जो समाज को नई करवट देता है। उन्होंने शिवराजसिंह चौहान दंपति के यशस्वी और शतायु जीवन की कामना की। उन्होनें कहा कि प्रदेश में उन्होनें उन 45 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है जहां पिछले चुनाव में पार्टी पिछड़ गयी थी। सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास जगा है और उन क्षेत्रों में जनसमर्थन से पार्टी आने वाले चुनाव में विजय पताका फहरायेगी।

यह शिवराजसिंह चौहान के परफार्मेन्स की सफल परिणति है।

शिवराज सिंह चौहान ने अभिनंदन समारोह के अवसर पर विनम्रतापूर्वक कहा कि यह सम्मान व्यक्ति का नहीं भारतीय जनता पार्टी के उत्कृष्ट विचारों और जनता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सम्मान है। उन्होंने जैत जैसे छोटे गांव में जन्म लेकर कुछ जमीनी कठोर मान्यताएं देखी थीं। और उनके मन मानस में एक टीस उत्पन्न हुई थी कि महिला श्रेष्ठता की अवहेलना करके पुरूष की श्रेष्ठता को थोपना उचित नहीं है। बेटा और बेटी में भेद करना नैसर्गिक न्याय की अनदेखी करना है। तभी उन्होनें बेटा और बेटी के फर्क को समाप्त करने का संकल्प किया था। अब वह संकल्प राजनैतिक संकल्प बन गया है। और बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ ऐसा करते हुए प्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाओ के रूप में मुखरित हुआ है। प्रदेश में आयोजित बेटी बचाओ अभियान में जनता ने भारी समर्थन दिया है। और देश भर में बेटी बचाओं अभियान पर चर्चा शुरू हुई है। राजनीति में पदार्पण करते हुए विधायक बनने पर उन्होनें कन्यादान लेने की परंपरा आरंभ की और बेटी के जन्म को अभिशाप मानने वालों को करारा जबाव दिया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद कन्यादान योजना को वैधानिक शक्ल दे दी गयी है। राज्य सरकार ने कन्यादान योजना के लिए प्रतिप्रकरण अब राशि 10 हजार से बढ़कर 15 हजार स्वीकृत करने का निश्चिय किया है। प्रदेश में 10 लाख लाडली लक्ष्मी बनायी जा चुकी है। और इस योजना पर 650 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना को एक अनूठा कार्यक्रम बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे बच्चियों का अध्ययन खर्च निकलता है। और उनके वयस्क होने पर जब वे ससुराल जाती है तो उन्हें 1 लाख 18 हजार रू. एकमुश्त मिलते है जिससे ससुराल में भी उन्हें सम्मान मिलता है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का अभियान तीव्र गति से चल रहा है। महिला सशक्तिकरण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। प्रदेश में महिलाओं को स्वरोजगार में स्थापित होने के लिए महिला वित्त विकास निगम को प्रभावी बनाया गया है। इससे उन्हें पूंजी आसानी से मिलेगी। मध्यप्रदेश में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण नगरीय और ग्रामीण निकायों में दिये जाने से अब स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कमोवेश 56 प्रतिशत हो गयी है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। नगरीय निकायों, नगरपालिका निगम, नगरपालिका, जिला पंचायत, पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण से महिला प्रतिनिधित्व उभरा है और उनके काम का दायरा घर की चहारदीवारी से निकलकर व्यापक हो गया है। शिक्षा विभाग में भी उन्हें 50 प्रतिशत नौकरियां दी जा रही है। रानी दुर्गावती बटालियन में पुलिस के रूप में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हुई है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में मजूदर सुरक्षा योजना मेहनतकशों के लिए सामाजिक एंव आर्थिक सुरक्षा कवच बनी है। जननी सुरक्षा योजना में महिलाओं को प्रसव के मौके पर मदद दी जाती है। एक हजार रू. पोषक आहार के लिए अलग से दिया जाता है और डेढ़ माह की सवेतन छुटटी दी जाती है। यह राशि सरकारी खजाने से दी जाती है। महिला की देखरेख के लिए पति को भी 15 दिन का मजदूरी सहित अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। इससे मेहनतकश परिवार भी अपना जीवन स्तर उठा सकेंगे। उन्होंने जिलों से आयी हुई महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि माता–बहनें और बेटियों का सम्मान और सुरक्षा हमारी पहली गारंटी है। इनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए शिवराज सिंह चौहान जीवनपर्यन्त प्रयास करते रहेगे। उन्होंने माताओं बहनों से आग्रह किया कि वे मध्यप्रदेश की धरती को पाप से बचाये और कोख को कत्लखाना नहीं बनने दें। भ्रूणहत्या का आक्रामकता के साथ विरोध का उस पर अंकुश लगाये।

कार्यक्रम की सफलता के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने सीमा सिंह, क्रांति जोशी एवं शिवा मिश्रा आलोक शर्मा, आलोक संजर, विजेश लूनावत, डॉ. हितेष वाजपेयी, कृष्णा गौर सहित प्रकोष्ठों और जिला के पदाधिकारियों की भूरि–भूरि प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी। ■

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह अभिनंदन कर्मठता, सेवाव्रत और समाज तथा प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने वालें गतिशील समृद्ध विचारों का अभिनंदन है। शिवराज सिंह चौहान पिछले वर्षों में अपनी गतिशीलता और ट्रांतिकारिता के बल पर प्रगति के फ्रवजवाहक सिद्ध हुए है। उन्होंने मफ्रयप्रदेश को विपुलता की दिशा में बढ़ने का संबल दिया है। गरीबों, किसानों, मजदूरो और माताओं बहनों, युवा वर्ग की प्रगति का मार्ग शिवराज सिंह चौहान ने प्रशस्त किया है।